



## नेपालगञ्ज उप-महानगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०८२

नगर सभाबाट स्वीकृत मिति: २०८२/०३/२९ गते।

प्रस्तावना:

नेपालगञ्ज उप-महानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८२।८३ को अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्नको निमित्त स्थानीय कर तथा शुल्क संकलन गर्ने, छुट दिने, जरिवाना तथा आय संकलनको प्रशासनिक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, नेपालको संविधानको धारा २२८ को उपधारा (२) बमोजिम नेपालगञ्ज उप-महानगरपालिकाको नगरसभाले यो ऐन बनाएको छ ।

### १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ:

(१) यस ऐनको नाम “आर्थिक ऐन, २०८२” रहेको छ ।

(२) यो ऐन नेपालगञ्ज उप-महानगरपालिका क्षेत्रमा २०८२ श्रावण १ गते देखि लागू हुनेछ ।

### २. सम्पत्ति कर:

नेपालगञ्ज उप-महानगरपालिकाको सम्पूर्ण वडाक्षेत्रभित्र अनुसूचि-१ बमोजिम सम्पत्ति कर लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।

### ३. भूमि (मालपोत) कर:

नेपालगञ्ज उप-महानगरपालिका क्षेत्र भित्र अनुसूचि-२ बमोजिम भूमि कर मालपोतको बक्यौता रकम असूल उपर गरिनेछ । तर उपदफा २ बमोजिम २०७६ श्रावण १ गते देखि सबै वडाहरुमा सम्पत्ति कर लागू भईसकेको हुदाँ सम्पत्ति करसँग दोहोरो हुने गरी भूमिकर (मालपोत) संकलन नगरिने र बक्यौता मालपोत रकम मात्र असूल उपर गरिनेछ ।

### ४. घर जग्गा बहाल कर:

नेपालगञ्ज उप-महानगरपालिका क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले भवन, घर, पसल, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, छप्पर, जग्गा वा पोखरी पूरै वा आंशिक तवरले बहालमा दिएकोमा उप-महानगरपालिकाको निर्धारण न्युनतम दररेट अनुसार अनुसूचि -३ बमोजिम घर जग्गा बहाल कर लगाइने र असूल गरिनेछ ।

### ५. व्यवसाय कर:

नेपालगञ्ज उप-महानगरपालिका क्षेत्रभित्र व्यापार, व्यवसाय वा सेवामा पूँजीगत लगानी र आर्थिक कारोबारका आधारमा अनुसूचि-४ बमोजिम व्यवसाय कर लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।

### ६. जडिबुटी, कवाडी र जीवजन्तु कर:

नेपालगञ्ज उप-महानगरपालिका क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले ऊन, खोटो, जडिबुटी, वनकस, कवाडी माल र प्रचलित कानूनले निषेध गरिएको जीवजन्तु वाहेकका अन्य मृत वा मारिएका जीवजन्तुको हाड, सिङ,

प्याँख, छाला जस्ता बस्तुको व्यवसायिक कारोवार गरेवापत अनुसूचि-५ बमोजिमको कर लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।

**७. सवारी साधन कर:**

नेपालगञ्ज उप-महानगरपालिका क्षेत्रभित्र संचालन हुने साना सवारी साधनमा अनुसूचि —६ बमोजिम सवारी साधन कर लगाइने र असूल उपर गरिनेछ । तर, प्रदेश कानून स्वीकृत भई सो कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थामा सोही बमोजिम हुनेछ ।

**८. विज्ञापन कर:**

नेपालगञ्ज उप-महानगरपालिका क्षेत्रभित्र हुने विज्ञापनमा अनुसूचि —७ बमोजिम विज्ञापन कर लगाइने र असूल उपर गरिनेछ । तर, लुम्बिनी प्रदेशको कानून स्वीकृत भई सो कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा सोही बमोजिम हुनेछ ।

**९. मनोरन्जन कर:**

नेपालगञ्ज उप-महानगरपालिका क्षेत्रभित्र हुने मनोरन्जन व्यवसाय कार्यक्रम र सेवामा अनुसूचि —८ बमोजिम मनोरन्जन कर लगाइने र असूल उपर गरिनेछ । तर, लुम्बिनी प्रदेशको कानून स्वीकृत भई सो कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा सोही बमोजिम हुनेछ ।

**१०. बहाल बिटौरी शुल्क:**

नेपालगञ्ज उप-महानगरपालिका क्षेत्रभित्र आफुले निर्माण, रेखदेख वा संचालन गरेका अनुसूचि —९ मा उल्लेख भए अनुसार का जग्गा, घर, भवन, हाट बजार वा पसलमा सोही अनुसूचिमा भएको व्यवस्था अनुसार बहाल बिटौरी शुल्क लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।

**११. पार्किङ शुल्क:**

नेपालगञ्ज उप-महानगरपालिका क्षेत्रभित्र विभिन्न सवारी साधनलाई पार्किङ सुविधा उपलब्ध गराए वापत अनुसूचि —१० बमोजिम पार्किङ शुल्क लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।

**१२. ट्रेकिङ्गर बोटिङ शुल्क:**

नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र ट्रेकिङ्गबोटिङ सेवा वा व्यवसाय संचालन गरे गराय वापत अनुसूचि—११ बमोजिमको शुल्क लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।

**१३. सेवा शुल्क, दस्तुर:**

नेपालगञ्ज उप-महानगरपालिकाले निर्माण, संचालन वा व्यवस्थापन गरेका अनुसूचि —१२ मा उल्लिखित स्थानीय पूर्वाधार र उपलब्ध गराइएको सेवामा सेवाग्राहीबाट सोही अनुसूचिमा व्यवस्था भए अनुसार सेवा शुल्क, दस्तुर लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।

**१४. पर्यटन शुल्क:**

नेपालगञ्ज उप-महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र प्रवेश गर्ने पर्यटकहरुबाट अनुसूची —१३ मा उल्लिखित दरमा पर्यटन शुल्क लगाई असूल उपर गरिनेछ । तर, प्रदेश कानून स्वीकृत भई सो कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थामा सोही बमोजिम हुनेछ ।

१५. यस ऐनमा उल्लेख नभएका वा नसमेटिएका र अन्य विषयमा नगरकार्यपालिकाले आगामी नगरसभाबाट पारित गराउने गरि औचित्य र आवश्यकता हेरी प्रचलित कानून विपरित नहुने गरी स्थानीय राजस्व परामर्श समितिको सिफारिशमा स्थानीय कर, शुल्क, दस्तुर निर्धारण गरी असुल उपर गर्न सक्नेछ।

१६. नेपालगञ्ज उप-महानगरपालिका, नगरकार्यपालिकाबाट यस ऐनको कार्यान्वयनका लागि अनुसूची —१४ मा उल्लेख भएका नीतिहरूलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनेछ।

#### १७. कर छुट:

यस ऐन बमोजिमको प्रावधानमा उल्लेख भएवमोजिम कर छुट दिएकोमा बाहेक कर तिर्ने दायित्व भएका व्यक्ति वा संस्थाहरूलाई कानूनमा अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहेक कुनैपनि किसिमको करछुट दिइनेछैन।

#### १८. कर तथा शुल्क संकलन सम्बन्धि कार्यविधि:

यो ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार कर तथा शुल्क संकलन सम्बन्धी कार्यविधि नेपालगञ्ज उप-महानगरपालिका, नगर कार्यपालिकाले तोके अनुसार हुनेछ।

#### १९. खारेजी र बचाउ

१) नेपालगञ्ज उप-महानगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०८१ खारेज गरिएको छ।

२) नेपालगञ्ज उप-महानगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०८१ बमोजिम भए गरेका काम कारवाही यसै ऐन बमोजिम भए गरेको मानिनेछ।

#### अनुसूची १ सम्पत्ति करको दर

| कर योग्य सम्पत्ति कर      | वार्षिक लाग्ने कर आ.व.२०८२।८३ |
|---------------------------|-------------------------------|
| १० लाख सम्म               |                               |
| २ लाख सम्म                | रु.२१।००                      |
| २ लाख १ देखि ५ लाख सम्म   | रु.८५।००                      |
| ५ लाख १ देखि १० लाख सम्म  | रु.१७०।००                     |
| १० लाख १ देखि ५० लाख सम्म |                               |
| १० लाख १ देखि १२ लाख सम्म | रु.२१३।००                     |
| १२ लाख १देखि १४ लाख सम्म  | रु.२३४।००                     |
| १४ लाख १ देखि १६ लाख सम्म | रु.२५५।००                     |
| १६ लाख १ देखि १८ लाख सम्म | रु.२९८।००                     |
| १८ लाख १ देखि २० लाख सम्म | रु.३४०।००                     |
| २० लाख १ देखि २२ लाख सम्म | रु.४२५।००                     |
| २२ लाख १ देखि २४ लाख सम्म | रु.५१०।००                     |
| २४ लाख १ देखि २६ लाख सम्म | रु.५९५।००                     |
| २६ लाख १ देखि २८ लाख सम्म | रु.७२३।००                     |
| २८ लाख १ देखि ३० लाख सम्म | रु.८५०।००                     |
| ३० लाख १ देखि ३४ लाख सम्म | रु.१,०२०।००                   |

|                                         |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|
| ३४ लाख १ देखि ३८ लाख सम्म               | रु.१,३६०।००         |
| ३८ लाख १ देखि ४२ लाख सम्म               | रु.१,७००।००         |
| ४२ लाख १ देखि ४६ लाख सम्म               | रु.२,१२५।००         |
| ४६ लाख १ देखि ५० लाख सम्म               | रु.२,५५०।००         |
| ५० लाख १ देखि १ करोड सम्म               |                     |
| ५० लाख १ देखि ६० लाख सम्म               | रु.२,९७५।००         |
| ६० लाख १ देखि ७० लाख सम्म               | रु.३,८२५।००         |
| ७० लाख १ देखि ८० लाख सम्म               | रु.४,६७५।००         |
| ८० लाख १ देखि ९० लाख सम्म               | रु.५,५२५।००         |
| ९० लाख १ देखि १ करोड सम्म               | रु.६,३७५।००         |
| १ करोड १ देखि २ करोड सम्म               |                     |
| १ करोड देखि १ करोड २० लाख सम्म          | रु.७,६५०।००         |
| १ करोड २० लाख १ देखि १ करोड ४० लाख सम्म | रु.८,९२५।००         |
| १ करोड ४० लाख १ देखि १ करोड ६० लाख सम्म | रु.१०,२००।००        |
| १ करोड ६० लाख १ देखि १ करोड ८० लाख सम्म | रु.११,४७५।००        |
| १ करोड ८० लाख १ देखि २ करोड सम्म        | रु.१२,७५०।००        |
| २ करोड १ देखि ५ करोड सम्म               |                     |
| २ करोड देखि २ करोड ५० लाख सम्म          | रु.१५,३००।००        |
| २ करोड ५० लाख १ देखि ३ करोड सम्म        | रु.१७,८५०।००        |
| ३ करोड १ देखि ३ करोड ५० लाख सम्म        | रु.२०,४००।००        |
| ३ करोड ५० लाख १ देखि ४ करोड सम्म        | रु.२२,९५०।००        |
| ४ करोड १ देखि ४ करोड ५० लाख सम्म        | रु.२५,५००।००        |
| ४ करोड ५० लाख १ देखि ५ करोड सम्म        | रु.२८,०५०।००        |
| ५ करोड १ देखि माथी                      | रु.०.८५। प्रति हजार |

## १.१ सम्पत्ती मूल्यांकन निर्धारण प्रकृया

- क) जग्गाको दर भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयबाट रजिष्ट्रेशन पारीत प्रयोजनका लागी उक्त आ.ब.मा कायम भएको न्युनतम मूल्यांकन दर
- ख) सम्पत्ति करका लागि भौतिक संरचनाको मुल्यांकन निम्नानुसार कायम गर्ने।

| सि.नं. | भौतिक संरचनाको मूल्यांकन दर निम्न अनुसार कायम गर्ने        | प्रति वर्ग फुट |
|--------|------------------------------------------------------------|----------------|
| १.     | आर.सि.सि./स्टिल फ्रेम स्ट्रक्चरबाट बनेको                   | ६५०।००         |
| २.     | सिमेन्ट जोडाईमा ईटा वा ढुंगाको गारो RCC र RBC छाना         | ६००।००         |
| ३      | माटो जोडाईमा ईटा वा ढुगाँको गारो — RCC र RBC छाना          | ५५०।००         |
| ४      | सिमेन्ट जोडाईमा ईट्टा वा ढुंगाको — जस्ता र एस्वेस्टको छाना | ४७५।००         |

|   |                                                           |        |
|---|-----------------------------------------------------------|--------|
| ५ | मटोको जोडाईमा ईट्टा वा ढुंगाको गारो — जस्ता र एस्वेस्टसको | ३७५।०० |
| ६ | सिमेन्ट जोडाईमा ईट्टा वा ढुंगाको गारो — टाएलको छाना ।     | २७५।०० |

कांचो ईटा वा माटोको गारो वा बांस वा काठको टाटी भै फुस, छवाली, खर, पराल र साधारण टिनको छाना भएको घरको मूल्यांकन गरीने छैन ।

ग) भौतिक संरचनाको हस कटि दर (घट्टो दर) नक्सापास प्रमाणपत्रको आधारमा निम्न अनुसार गर्ने

| संरचनाको आयु     | RCC/steel frame structure बाट बनेको घर | सिमेन्ट जोडाईमा ईटा वा ढुगाको गारो RCC & RBC छाना | माटो जोडाईमा ईटा वा ढुगाको गारो RCC & RBC छाना | सिमेन्ट जोडाईमा ईटा वा ढुगाको जस्ता र एस्वेस्टसको छाना | माटो जोडाईमा ईटा वा ढुगाको गारो — जस्ता र एस्वेस्टसको छाना | सिमेन्ट जोडाईमा ईटा वा ढुगाको गारो टायलको छाना |
|------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| १—५ वर्ष सम्म    | -                                      | -                                                 | -                                              | -                                                      | -                                                          | -                                              |
| ६—१५ वर्ष सम्म   | -                                      | -                                                 | १०                                             | १०                                                     | १०                                                         | १५                                             |
| १६—२५ वर्ष सम्म  | १०                                     | १०                                                | १५                                             | २०                                                     | २०                                                         | २०                                             |
| २६—३५ वर्ष सम्म  | १०                                     | २०                                                | २०                                             | २०                                                     | २०                                                         | मुल्यांकन नगर्ने                               |
| ३६ वर्षदिखि माथि | २०                                     | २०                                                | २०                                             | मुल्यांकन नगर्ने                                       | मुल्यांकन नगर्ने                                           | मुल्यांकन नगर्ने                               |

सम्पत्ति कर असुल गर्दा निम्न प्रक्रिया अपनाउने ।

१. चालु आ.ब. को सम्पत्ति कर आ.ब. भित्र नबुझाएमा अर्को आ.ब. मा १ वर्षको बक्यौता भए १०% र एक आ.ब. भन्दा बढि भए २५%का दरले जरिवाना लिने ।
२. करदाताले पेश गरेको विवरण झुटा भए छानविन गरी लाग्ने कर रकमको अधिकतम शत प्रतिशत जरीवाना लिई असुल गर्ने ।
३. सम्पत्ति कर बाँकि रहेका करदातालाई उप म.न.पा. ले उपलब्ध गराउने सेवा, सुविधा, सिफारीस रोक्का राखिनेछ ।
४. सम्पत्ति कर असुल भई सकेको कुनै पनि सम्पत्तिमा सोहि आ.ब.मा पुनः कर लाग्ने छैन ।
५. मालपोत, बहाल विटौरी, घरजग्गा कर बक्यौता रहेको भए सम्पत्ति करको साथै असुल गर्ने ।
६. सम्पत्ति कर बुझाउँदा न.पा.मा बुझाउनु पर्ने व्यवसाय कर, बहाल करका साथै उ.म.न.पा.ले तोकेको अन्य कर समेत दाखिला गरी असुल गर्ने ।

७. करदाताको सम्पत्ति घटबढ भएमा न.पा.ले उपलब्ध गराएको नमुना बमोजीमको फारमभरी करदाता स्वयंमले पेश गर्नुपर्ने छ ।
८. बिदेश जाने प्रयोजनको लागि करदाताले चलन चल्तीको रेटमा मूल्यांकन गर्न चाहेमा स्थलगत अध्ययन गरी चलन चल्तिको मूल्य अनुसार मूल्यांकन गरि कर लिई सोहिलाई कायम गर्ने ।

## अनुसूची २

### मालपोत कर

नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा आ.व.२०७५-७६ को श्रावण १ गतेबाट सवै वडाहरुमा सम्पत्ती कर लागु भईसकेकोले मालपोत कर नलगाउने तर विगत आ.व.हरुको बक्यौता रकम भने असुल उपर गरिनेछ ।

## अनुसूची ३

### घर जग्गा बहाल कर

उप-महानगरपालिका क्षेत्र भित्रको घर, पसल, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, छप्पर, कारखाना, जग्गा वा पोखरी पुरै वा आंशिक रुपमा बहालमा दिएकोमा उप-महानगरपालिकाको निर्धारण न्युनतम दररेट तथा मापदण्ड अनुसार बहाल रकमको १०% घर जग्गा बहाल कर लिईने छ ।

### १. उप-महानगरपालिकाले निर्धारण न्युनतम दररेट तथा मापदण्ड:

| क्र.स.                                                            | स्थानको नाम                                                     | व्यवसायिक<br>प्रतिसटर।प्रतिकोठा<br>(मासिक) |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| रत्न राजमार्ग क्षेत्र                                             |                                                                 |                                            |
| १.                                                                | जमुनाहा देखि ट्राफिक चोकसम्म                                    | ५०००।                                      |
| २.                                                                | ट्राफिक चोक देखि विद्युत प्राधिकरण जाने आदर्शनगर सम्म चोक सम्म) | ६०००।                                      |
| ३.                                                                | विद्युत जाने आदर्शनगर चोकदेखि गणेशमान चोकसम्म                   | ६५००।                                      |
| ४.                                                                | गणेशमान चोक देखि विपी चोकसम्म                                   | १००००।                                     |
| ५.                                                                | विपी चोकदेखि गुल्म सम्म                                         | १३०००।                                     |
| ६.                                                                | गुल्मदेखि कारकाँदो चोकसम्म                                      | १२०००।                                     |
| ७.                                                                | कारकादो चोकदेखि नेपालगञ्जको उत्तर सिमानासम्म                    | १००००।                                     |
| ट्राफिक चोकदेखि बसपार्क जाने हुलाकी राजमार्ग सम्मको मार्ग क्षेत्र |                                                                 |                                            |
| ८.                                                                | ट्राफिक चोकदेखि विद्युत प्राधिकरणसम्म                           | ६०००।                                      |
| ९.                                                                | विद्युत प्राधिकरणदेखि मालपोत सम्म                               | ८०००।                                      |
| १०.                                                               | मालपोतदेखि नगरभवन सम्म                                          | १००००।                                     |

|                                |                                                           |        |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|
| ११.                            | नगरभवनदेखि त्रिभुवनचोक सम्म                               | १२०००। |
| १२.                            | त्रिभुवनचोक देखि त्रिवेणीमोडहुदै सेतु बिक चोक सम्म        | १५०००। |
| १३.                            | सेतु बिक चोक देखि बसपार्क जाने हुलाकी राजमार्गसम्म        | ११०००। |
| उप-महानगरपालिकाको अन्य क्षेत्र |                                                           |        |
| १४.                            | गणेशमान चोक देखि चारवाहिनी सम्म                           | १००००। |
| १५.                            | गणेशमान चोकदेखि भित्र जेलरोड हुदै पासाङ्गल्हामु मार्गसम्म | ६०००।  |
| १६.                            | गणेशमानचोक देखि प्रभात बोर्डिङ्गसम्म                      | ८०००।  |
| १७.                            | प्रभातबोर्डिङ्ग देखि इदगाहसम्म                            | ६०००।  |
| १८.                            | इदगाह देखि परसपुरचोकसम्म                                  | ५०००।  |
| १९.                            | चारवाहिनी चोकदेखि यातायात कार्यालय सम्म                   | ६०००।  |
| २०.                            | मालपोत देखि भित्र बाँके बगिया क्षेत्र                     | ६०००।  |
| २१.                            | कुसुम पेट्रोलपम्प देखि भेरी प्राविधिक गेट                 | ६०००।  |
| २२.                            | पासाङ्ग ल्हामु मार्ग(सुर्खेत रोड देखि खेतानको घर सम्म)    | ६०००।  |
| २३.                            | विपि चोकदेखि त्रिभुवन चोकसम्म                             | १००००। |
| २४.                            | विपि चोकदेखि पश्चिम मुक्तिपुरसम्म                         | ६०००।  |
| २५.                            | नर्सिङ्ग होम उत्तरको बाटो देखि पश्चिम कोरियनपूर क्षेत्र   | ८०००।  |
| २६.                            | त्रिभुवनचोक देखि रानीतलाउ क्षेत्र                         | १२०००। |
| २७.                            | सुर्खेत रोड भगवतिको घरदेखि पूर्व पुरानो सृष्टिहल सम्म     | ६०००।  |
| २८.                            | गुरुद्वारादेखि पुर्व फलमण्डि हुदै सुनारमण्डि सदरलाइनसम्म  | ६०००।  |
| २९.                            | आर. एन. ए. सी पूर्व घरबारी टोलसम्म                        | ९०००।  |
| ३०.                            | प्रदिप जनरल स्टोर (पुरानो) देखि पाचु बनियाको घरसम्म       | १००००। |
| ३१.                            | नन्दलाल वैश्यको घरदेखि गुल्मण्डि सम्म                     | ६०००।  |
| ३२.                            | त्रिवेणी मोडदेखि वडा प्रहरी कार्यालयसम्म(राप्ति पथ)       | ८०००।  |
| ३३.                            | वडा प्रहरी देखि फुल्टेक्रा चोक सम्म                       | ६०००।  |
| ३४.                            | यातायात बाँके गाउँ देखि फुल्टेक्रा राप्ती पथसम्म          | ४०००।  |
| ३५.                            | फुल्टेक्रा चोक उत्तर नहरपूर्वा हुदै कान्तिताल चोक सम्म    | ४०००।  |
| ३६.                            | रानीतलाउ देखि एम.पी. स्कुलहुदै वडा प्रहरी कार्यालयसम्म    | ४०००।  |
| ३७.                            | धम्बोझी चोक घरबारी टोलहुदै त्रिवेण चोकसम्म                | १४०००। |
| ३८.                            | भानुभक्त चोकदेखि पश्चिम घरबारी टोलसम्म                    | ८०००।  |
| ३९.                            | सेतुबिक चोकदेखि पश्चिम रत्न रागमार्गसम्म                  | १००००। |
| ४०.                            | सेतु बिक चोकदेखि बाइपाससम्म                               | ६०००।  |
| ४१.                            | सल्यानीबाग हुदै हुलाकी सडकसम्म(वाइपास रोड)                | ६०००।  |
| ४२.                            | धम्बोझी चोकदेखि पश्चिम डेन्टल अस्पतालसम्म                 | ८०००।  |
| ४३.                            | डेन्टल अस्पतालदेखि नन्दनिमिल (सिमानासम्म)                 | ५०००।  |

|     |                                                                                                         |       |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ४४. | शिवमन्दिर देखि वडा नं १ को कार्यालय जाने बाटो (गुल्म बाट आएको)सम्म                                      | ४०००। |
| ४५. | विशालचोक वडा नं १ र १८ को क्षेत्र                                                                       | ५०००। |
| ४६. | नन्दनि मिल देखि कारकाँदो चोकसम्मको सडक                                                                  | ५०००। |
| ४७. | कारकाँदो चोकदेखि राधाकृष्ण मन्दिरहुँदै वाइपास बसपार्क जाने हुलाकी राजमार्ग सम्मको सडक                   | ६०००। |
| ४८. | कारकादो राधाकृष्ण मन्दिरहुँदै लगदहवा चोक सम्मको सडक                                                     | ५०००। |
| ४९. | पुष्पलालचोक देखि पूर्व विद्युत प्राधिकरणसम्मको राप्ति राजमार्ग                                          | ८०००। |
| ५०. | विद्युत प्राधिकरण देखि पुरैनी कान्तिताल चोकसम्म राप्ति राजमार्ग                                         | ५०००। |
| ५१. | कान्तिताल चोकदेखि २२ नं वडा कार्यालय हुँदै डुडुवा सिमाना सम्मको हुलाकी राजमार्ग                         | ४०००। |
| ५२. | राझा चोकदेखि आयल निगम सम्म                                                                              | ६०००। |
| ५३. | भुजइगाँउ चोकदेखि पूर्व ६ कुने चोकसम्म                                                                   | ४०००। |
| ५४. | माथि उल्लेख नभएको साविक नेपालगञ्ज न.पा. को वडा नं. १-१३ को पक्की सडकमा पर्ने सम्पूर्ण क्षेत्र           | ३०००। |
| ५५. | माथि उल्लेख नभएको साविक नेपालगञ्ज न.पा. को वडा नं. १-१३ ग्राभेल एवम् कच्ची सडकमा पर्ने सम्पूर्ण क्षेत्र | २५००। |
| ५६. | माथि उल्लेख नभएको साविक गाविस रहेका हालको वडा नं. १४-२३ पक्की सडकमा पर्ने सम्पूर्ण क्षेत्र              | २०००। |
| ५७. | माथि उल्लेख नभएको साविक गाविस रहेका हालको वडा नं. १४-२३ ग्राभेल एवम् कच्ची सडकमा पर्ने सम्पूर्ण क्षेत्र | १८००। |

- १.१ व्यापारिक/व्यवसायिक बहाल प्रयोजनको दरलाई १०० वर्ग फिट सम्मको क्षेत्रफल भएको कोठालाई आधार मान्ने तथा १०० व.फि. भन्दा बढी क्षेत्रफल भएमा उक्त दरलाई कोठाको क्षेत्रफल अनुसार दामासाही गरि हिसाब गर्ने ।
- १.२. पछाडिको कोठाहरूको लागि उल्लेखित भाडा दरको ४०% का दरले भाडा लिने ।
- १.३. माथिल्लो तलाको कोठाहरूको लागि तोकिएको भाडा दरको ४०% का दरले भाडा लिने ।
- १.४. माथिल्लो तलामा ३००० वर्ग फिट भन्दा बढी एकमुष्ट बहालमा लगाउदा प्रति वर्ग फुट न्यूनतम रु.२०/- भाडा कायम गर्ने ।
- १.५. पक्की संरचना बाहेकका छप्पर, टहरा आदिको हकमा उल्लेखित भाडा दरको ३०% का दरले भाडा लिने ।
- १.६. बहालकर दाखिलाका लागि बहाल सम्झौता अनिवार्य हुने ।
- १.७. माथि उल्लेखित न्यूनतम बहाल करभन्दा बढी बहाल लिएको अवस्थामा बहाल सम्झौता अनुसार हुनेछ ।

१.८. नियमित बहालमा लगाएको बाहेक आयस्रोत बैंक प्रयोजनका लागि बहालकर दाखिला गर्नेलाई न्यूनतम ३(तिन) महिनाको बहालकर असुली गर्ने।

## २. आवासिय घर बहाल करको दर

२.१ व्यवसायिक/व्यापारीक प्रयोजन बाहेक बसोबासको लागि नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको क्षेत्र मध्ये साविकका गा.वि.स. हाल वडा नं. १३ देखि २३ वडाको क्षेत्रलाई समान रुपमा प्रतिकोठा (१०० वर्ग फिट) न्यूनतम रु १५००। (अक्षरूपी एक हजार पाँच सय मात्र)।

२.२ व्यवसायिक/व्यापारिक प्रयोजन बाहेक बसोबासको लागि साविक नेपालगञ्ज नगरपालिका हाल वडा नं. १ देखि १२ सम्मको क्षेत्रमा प्रतिकोठा (१०० वर्ग फिट) को न्यूनतम रु ३०००। (अक्षरूपी तीन हजार)।

२.३ फल्याटको हकमा उल्लेखित दरमा नघट्ने गरि सम्झौता बमोजिम हुनेछ। फल्याटको हकमा सम्झौतापत्र अनिवार्य पेश गर्ने।

## ३. नेपालगञ्ज उप-महानगरपालिका क्षेत्रमा रहेको जग्गा लिज दर:

| क्र.स. | जग्गाको क्षेत्र                                       | दर(प्रतिकठ्ठा)<br>(मासिक) |
|--------|-------------------------------------------------------|---------------------------|
| १.     | जमुनाहा देखि विपी चोक सम्मको सडक क्षेत्र              | २५००।                     |
| २.     | विपी चोक देखि राजा सम्मको सडक क्षेत्र                 | ३२००।                     |
| ३.     | राजा देखि उत्तर वडा नं २० को सिमानासम्म सडकको क्षेत्र | ३०००।                     |
| ४.     | वडा नं. १,१८,१९ र २०को भित्री भागको क्षेत्र           | १२००।                     |
| ५.     | वडा नं. ४,५,६,२१ र २२ मा पर्ने क्षेत्र                | १०००।                     |
| ६.     | वडा नं.२,३,७,८,९,१०,११ र १२ मा पर्ने क्षेत्र          | ९००।                      |
| ७.     | वडा नं. १३,१४,१५,१६ र १७ मा पर्ने क्षेत्र             | ८००।                      |
| ८.     | वडा नं. २३ मा पर्ने क्षेत्र                           | ५००।                      |

- पूनश्च: माथि उल्लेखित तिनै (३) प्रकारका बहाल करको लागि करदाताले कोठ/जग्गाको विवरण सहित क्षेत्रफलको स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ।

## अनुसूची ४

### व्यवसाय कर

| क्र.स. | करका शिर्षकहरु                                   | करका दर  |
|--------|--------------------------------------------------|----------|
| १.     | होटल, रेष्टुरेन्ट, लज क्यासिनो तथा मनोरञ्जन स्थल |          |
|        | १ तारे होटललाई                                   | १६५००।०० |
|        | २ तारे होटललाई                                   | २७५००।०० |
|        | ३ तारे होटललाई                                   | ५५०००।०० |

|    |                                                                         |           |
|----|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
|    | ४ तारे होटललाई                                                          | ८२५००।००  |
|    | ५ तारे होटल वा सो भन्दा माथी                                            | ११००००।०० |
|    | होटल (खाने बस्ने एयर कन्डीसनर भएको)                                     | १००००।००  |
|    | होटल (खाने बस्ने एयर कन्डीसनर नभएको)                                    | ५०००।००   |
|    | रेष्टुरेण्ट                                                             | ३५००।००   |
|    | मदिरा बिक्री नगर्ने होटललाई                                             | ३०००।००   |
|    | क्यासिनो बार्षिक                                                        | २०००००।०० |
|    | मिनी क्यासिनो बार्षिक                                                   | १०००००।०० |
|    | फन पार्क, फिटनेस सेन्टर, जिम हाउस,                                      | ५०००।००   |
|    | डिस्को, डान्सबार, दोहोरी सौँझ, मसाज सेन्टर                              | १००००।००  |
|    | क्याफे                                                                  | ३०००।००   |
| २. | <b>चलचित्र</b>                                                          |           |
|    | चलचित्र मन्दिर सिनेमा हल साधारण                                         | ३५००।००   |
|    | QFX                                                                     | १२०००।००  |
| ३. | <b>मिठाई पसल</b>                                                        |           |
|    | क श्रेणी (उच्च सुविधायुक्त एसि भएको)                                    | ६०००।००   |
|    | ख श्रेणी, चिया,कफि,नास्ता पसल (वसेर खान मिल्ने फर्निसिड. व्यवस्था भएको) | २०००।००   |
|    | ग श्रेणी तथा अन्यलाई                                                    | १०००।००   |
|    | चिया कफी नास्ता पसल                                                     | ७५०।००    |
| ४. | <b>पुल हाउस तथा स्नुकर</b>                                              | २५००।००   |
|    | फुटसल, स्केट                                                            | ३०००।००   |
|    | खेलकुद सामाग्री                                                         | ३०००।००   |
|    | चार्जर स्टेशन                                                           | ३०००।००   |
|    | साङ्गितिक सामाग्री                                                      | ३०००।००   |
|    | वाटर फिल्टर र सो सँग सम्बन्धीत सामाग्री                                 | ५०००।००   |
| ५. | <b>मासु तथा माछा पसल</b>                                                |           |
|    | खसी, कुखुरा, बंगुर, राँगा तथा माछा                                      | १५००।००   |
|    | माछा मासु उद्योग                                                        | १२०००।००  |
|    | सुविधाजनक एसि भएको ठूला मिटमार्ट                                        | ५०००।००   |
|    | अण्डा थोक बिक्रेता                                                      | २५००।००   |
|    | छाला संकलन                                                              | २०००।००   |
|    | कृषि तथा पशुपंक्षिजन्य फर्म                                             | १०००।००   |
|    | मासु प्याकेजिङ                                                          | ५०००।००   |
| ६. | <b>फलफुल पसल</b>                                                        |           |
|    | थोक फलफुलमा                                                             | २५००।००   |

|    |                                                                     |          |
|----|---------------------------------------------------------------------|----------|
|    | खुद्रा फलफुल र फलफुल जुश                                            | ५००।००   |
|    | तरकारी थोक बिक्रेता                                                 | २५००।००  |
|    | उखुको रस                                                            | २५००।००  |
| ७. | <b>सुन चाँदी पसल</b>                                                |          |
|    | थोक पसल                                                             | १२०००।०० |
|    | क श्रेणी (ठुलापसल)                                                  | १००००।०० |
|    | ख श्रेणी (सानापसल)                                                  | ५०००।००  |
|    | ग श्रेणी (मर्मतपसल)                                                 | १५००।००  |
|    | रोलगोल्ड(नक्कली गहना पसल)                                           | ३०००।००  |
| ८. | <b>औषधी पसल</b>                                                     |          |
|    | थोक श्रेणी                                                          |          |
|    | सुपर डिष्ट्रिब्युटर्स नेपाल राज्यभर कारोवार गर्ने                   | २००००।०० |
|    | क्षेत्रिय सुपर डिष्ट्रिब्युटर्स बुटवल महेन्द्रनगरसम्म कारोवार गर्ने | १५०००।०० |
|    | थोकःखुद्रा यस क्षेत्रमा मात्र कारोवार गर्ने                         | ५०००।००  |
|    | सर्जिकल पसल                                                         | ५०००।००  |
|    | फुड सप्लिमेन्ट खुद्रा स्वास्थ्य                                     | २५००।००  |
|    | फुड सप्लिमेन्ट थोक स्वास्थ्य                                        | ५०००।००  |
|    | स्वास्थ्य सम्बन्धी औजार/उपकरण                                       | ६५००।००  |
|    | स्वास्थ्य सम्बन्धी औजार/उपकरण पार्टस                                | ४०००।००  |
|    | ल्याव/डाइग्नोस्टिक केमिकल खुद्रा                                    | ३०००।००  |
|    | ल्याव/डाइग्नोस्टिक केमिकल थोक                                       | ५०००।००  |
|    | सेक्स खेलौना                                                        | ३०००।००  |
|    | <b>खुद्रा श्रेणी</b>                                                |          |
|    | हस्पिटलभित्र                                                        | ५,०००।   |
|    | हस्पिटल बाहिर                                                       | ३,०००।   |
|    | विशेषज्ञ चिकित्सक रहेको औषधिपसल                                     | १२,०००।  |
|    | चिकित्सक रहेको औषधिपसल                                              | ८,०००।—  |
|    | हे.अ./अ.हे.व. रहेको औषधी पसल                                        | ५,०००।   |
|    | चिकित्सक(प्राइभेट क्लिनिक)                                          | ५,०००।—  |
|    | सर्जिकल सामानको थोकःखुद्रा                                          | ७५००।    |
| ९. | <b>स्वास्थ्य तर्फ</b>                                               |          |
|    | मेडिकल कलेज (शिक्षण अस्पताल)                                        | १२५०००।  |
|    | हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर,                                         | ६००००।   |
|    | अन्य निजी अस्पताल (नाक,कान,दाँत,घाँटी लगायत)                        | २५०००।   |
|    | अन्य सामुदायिक अस्पताल                                              | २५००।    |

|     |                                                                     |        |
|-----|---------------------------------------------------------------------|--------|
|     | डेण्टल हस्पिटल                                                      | १००००। |
|     | ल्याव प्याथोलोजी, एक्सरे, अल्ट्रा साउण्ड, सिटी स्क्यान समेत भएकोलाई | १२०००। |
|     | ल्याव प्याथोलोजी र एक्सरे समेत भएकोलाई                              | ५०००।  |
|     | ल्याव मात्र भएकोलाई                                                 | २५००।  |
|     | एक्सरे मात्र भएकोलाई                                                | २५००।  |
|     | सिटी स्क्यान मात्र भएकोलाई                                          | ७५००।  |
|     | अल्ट्रा साउण्ड मात्र भएको                                           | ५०००।  |
|     | चस्मा पसललाई                                                        | १०००।  |
|     | दांत बनाउने पसललाई                                                  | १०००।  |
|     | होमीयो पैथीक पसललाई                                                 | १०००।  |
|     | अक्कु पडचर उपचार केन्द्रलाई                                         | १०००।  |
|     | आयुर्वेदिक पसल                                                      | २०००।  |
|     | पोलिक्लिनिक                                                         | ६०००।  |
|     | डाइग्नोस्टिक सेन्टर                                                 | ५०००।  |
|     | डेण्टल क्लिनिक                                                      | ७५००।  |
|     | आयुर्वेदिक पसल-डिलर                                                 | ५०००।  |
|     | फिजियो थेरापी सेन्टर                                                | ४०००।  |
|     | निजी अस्पताल (नाक, कान, घाँटी, दाँत, आखा लगायत) १० बेड सम्म         | २५०००। |
|     | निजी अस्पताल (नाक, कान, घाँटी, दाँत, आखा लगायत) १० बेड भन्दा माथी   | ३५०००। |
| १०. | <b>एग्रोभेट</b>                                                     |        |
|     | एग्रोभेट थोक पसललाई                                                 | २५००।  |
|     | एग्रोभेट खुद्रा पसललाई                                              | १०००।  |
|     | हसिया, कुटो कृषि सामाग्री                                           | ३०००।  |
|     | कृषि, यन्त्र उपकरण                                                  | ५०००।  |
|     | भेटेनरी उपचार सेवा                                                  | २५००।  |
|     | भेटेनरी सामान                                                       | २५००।  |
| ११. | <b>तम्बाकु एवं सुर्तिजन्य पसल</b>                                   |        |
|     | तम्बाकु पसल उत्पादक सुर्तिजन्य गुठ्खा समेत                          | १००००। |
|     | तम्बाकु पसल खुद्रा सूतिजन्य पदार्थ (पान पसल समेत)                   | ५०००।  |
| १२. | <b>धोबी पसल</b>                                                     |        |
|     | ड्राई क्लिनर्स                                                      | १५००।  |
| १३. | <b>सिलाई पसल</b>                                                    |        |
|     | २ देखि ४ सम्म सिलाई मेसीन भएकोलाई                                   | २०००।  |
|     | ५ देखि ८ सिलाई मेसीन भएकोलाई                                        | ३०००।  |
|     | ८ भन्दा धेरै सिलाई मेसिन भएकोलाई                                    | ५०००।  |
|     | सुटिङ्ग सटिङ्ग समेत भएकोलाई                                         | १००००। |

|     |                                                              |        |
|-----|--------------------------------------------------------------|--------|
|     | बुटिक पसल                                                    | ५०००।  |
| १४. | <b>सैलुन तथा ब्यूटीपार्लर</b>                                |        |
|     | १ सिट लाई                                                    | ५००।   |
|     | २ देखि ५ सिट सम्म                                            | २०००।  |
|     | ५ सिट भन्दा माथि                                             | ४०००।  |
|     | ट्रेनिङसेन्टर समेत भएमा थप रु.१०००। लाग्नेछ ।                |        |
|     | कस्मेटिक पसल                                                 | २५००।- |
|     | टयाटु हान्ने पसल                                             | २५००।  |
|     | कस्मेटिक सामानको थोक                                         | ५०००।  |
|     | सिलाइ मेसिन बिक्रेता                                         | ३०००।  |
| १५. | <b>इलेक्ट्रोनिक्स</b>                                        |        |
|     | इलेक्ट्रोनिक्स खुद्रा                                        | ३०००।  |
|     | इलेक्ट्रोनिक्स थोक                                           | ५०००।  |
|     | इलेक्ट्रोनिक्स थोक र खुद्रा दुवै                             | ७०००।  |
|     | मोबाइल डिलर                                                  | ५०००।  |
|     | मोबाइल खुद्रा                                                | ३०००।  |
|     | मोबाइल थोक र खुद्रा दुवै                                     | ६०००।  |
|     | इलेक्ट्रीकल सामान मर्मत गर्ने पसल                            | २०००।  |
|     | मोबाइल एसोसेरिज                                              | १०००।  |
| १६  | <b>घ वर्गको निर्माण व्यवसायी सम्बन्धि:</b>                   |        |
|     | ईजाजतपत्र दस्तुर                                             | ५००००। |
|     | नविकरण दस्तुर(आ.व.समाप्त पछि पौष मसान्त सम्म)                | ५०००।  |
|     | नविकरण दस्तुर(आ.व.समाप्त पछि चैत्र मसान्त सम्म)              | १००००। |
|     | माथि उल्लेखित नविकरण अवधि समाप्त भएपछि थप प्रतिवर्ष          | १००००। |
|     | ठाउसारी(अन्तरजिल्ला)                                         | १५०००। |
|     | ईजाजतपत्र प्रतिलिपी दस्तुर                                   | ५०००।  |
|     | ईजाजतपत्र नामसारी दस्तुर (एकाघर सगोलमा)                      | ७५००।  |
|     | ईजाजतपत्र नामसारी दस्तुर (एकाघर सगोल बाहेक)                  | ४००००। |
| १७  | <b>निर्माण व्यवसायी :</b>                                    |        |
|     | ग वर्गलाई                                                    | ४५००।  |
|     | ख वर्गलाई                                                    | ७५००।  |
|     | क वर्गलाई                                                    | १५०००। |
| १८. | <b>हवाई सेवा :</b>                                           |        |
|     | हवाई उडान गर्ने एयर लाईन्सलाई वार्षिक                        | १००००। |
|     | प्रत्येक ट्रावल्स एजेन्सीलाई वार्षिक                         | २०००।  |
|     | ने.गं.विमानस्थल बाट उडान गर्ने प्रत्येक हवाई टिकटमा (सुगम)   | १००।   |
|     | ने.गं.विमानस्थल बाट उडान गर्ने प्रत्येक हवाई टिकटमा (दुर्गम) | ५०।    |
|     | हवाई कार्गो सर्विस                                           | २०००।  |

|     |                                                            |        |
|-----|------------------------------------------------------------|--------|
| १९. | <b>कानून व्यवसायी :</b>                                    |        |
|     | अधिवक्ताको प्रमाण पत्र लिई व्यसाय गरेको १० वर्ष            | १०००।  |
|     | अधिवक्ताको प्रमाण पत्र लिई व्यसाय गरेको २० वर्ष            | २०००।  |
|     | अधिवक्ताको प्रमाण पत्र लिई व्यसाय गरेको २० वर्ष भन्दा माथि | ३०००।  |
| २०  | <b>बित्तिय सेवा तर्फ :</b>                                 |        |
|     | क श्रेणी( बाणिज्य)                                         | ३००००। |
|     | ख श्रेणी(विकास)                                            | २००००। |
|     | ग श्रेणी(बित्तिय फाइनेन्स)                                 | १५०००। |
|     | घ श्रेणी सहकारी /लघु वित्त                                 | ३०००।  |
|     | बिमा कम्पनी                                                | १००००। |
|     | विदेशी मुद्रा सटही काउण्टर वा मनिट्रान्सफर                 | २०००।  |
|     | इसेवा प्रा.लि. जस्ता अन्य समेत                             | ५०००।  |
| २१  | <b>जुत्ता चप्पल पसल :</b>                                  |        |
|     | थोक बिक्रेता                                               | ५०००।  |
|     | खुद्रा बिक्रेता                                            | २५००।  |
|     | मेसिन बाट जुत्ता तयार गरी बिक्री गर्ने                     | १००००। |
|     | हतबाट जुत्ता, चप्पल बनाउने                                 | ३५००।  |
| २२  | <b>हेभी तथा लाईट गाडी मोटर बिक्री गर्ने :</b>              |        |
|     | चार पाङ्ग्रे वा सो भन्दा माथि सवारी साधन                   | २००००। |
|     | मोटर साईकल स्कुटर बिक्री गर्ने पसललाई                      | १२०००। |
|     | साईकल रिक्सा ,अटो रिक्सा बिक्री गर्ने पसललाई               | ५०००।  |
|     | पपिङ,सेट जेनेरेटर र मेशिनरी सरसामानहरु बिक्री गर्ने पसललाई | ५०००।  |
| २३  | <b>गाडी, रिक्सा, साईकलको पार्टस बिक्री पसल :</b>           |        |
|     | बस,ट्रक, टेक्टर, जिप, कार, टेम्पो आदि ।                    | १००००। |
|     | मोटरसाईकल, स्कुटर                                          | ५०००।  |
|     | साईकल रिक्सा ,अटो रिक्सा                                   | २५००।  |
|     | अटो रिक्सा उद्योग                                          | ८०००।  |
|     | ठेला दर्ता                                                 | ५००।   |
|     | ठेला नबिकरण                                                | ५००।   |
| २४  | <b>टायर (रिसोलिङ्ग,मर्मत) तथा मोबिल :</b>                  |        |
|     | टायरको थोक बिक्रेता                                        | ५५००।  |
|     | टायरको खुद्रा बिक्रेता                                     | २०००।  |
|     | रिसोलिङ्ग तथा मर्मत                                        | ५०००।  |
|     | सिट हुट बनाउने पसल                                         | १०००।  |
|     | लेथ वेल्डिङ्ग भएको पसल                                     | १०००।  |
|     | मोबिल आयल डिलर बिक्रेता                                    | २०००।  |
|     | मोबिल आयल खुद्रा बिक्रेता                                  | १०००।  |
| २५  | <b>गाडी मर्मत :</b>                                        |        |

|    |                                                                                                                                                                          |        |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|    | बस टूटको बडी बनाउने कारखाना                                                                                                                                              | ५०००।  |
|    | हेभी गाडी तथा मेशीनरी मर्मतहरु                                                                                                                                           | १५००।  |
|    | लाईट गाडी तथा मेशीनरी मर्मत                                                                                                                                              | १०००।  |
|    | सवारी साधन सर्भिसिड तथा मर्मत सेन्टर                                                                                                                                     | १०००।  |
|    | व्याट्रि विक्रि तथा मर्मत कारखाना तथा पसल                                                                                                                                | ५०००।  |
|    | मोटर साईकल मर्मत                                                                                                                                                         | ५००।   |
|    | साइकल बनाउने पसल                                                                                                                                                         | १०००।  |
| २६ | <b>कबाडी पसल :</b>                                                                                                                                                       |        |
|    | ठुला पसल                                                                                                                                                                 | १००००। |
|    | साधारण पसल                                                                                                                                                               | ५०००।  |
|    | डिस्पोजेबल सामाग्री विक्रि                                                                                                                                               | ३०००।  |
| २७ | <b>एजेन्सी तथा थोक विक्रेता पसल :</b>                                                                                                                                    |        |
|    | चुरोटको डिलर                                                                                                                                                             | १२०००। |
|    | पेट्रोल पम्प                                                                                                                                                             | १००००। |
|    | प्लाष्टिक डिलर                                                                                                                                                           | ६०००।  |
|    | चाउचाउ डिलर                                                                                                                                                              | ५०००।  |
|    | साबुन डिलर                                                                                                                                                               | ३०००।  |
|    | ग्याँस सिलिन्डर डिलर                                                                                                                                                     | २५००।  |
|    | कोईला डिलर                                                                                                                                                               | १०००।  |
|    | मट्टितेल डिलर                                                                                                                                                            | १०००।  |
| २८ | <b>मादक तथा अन्य पेय पदार्थ :</b>                                                                                                                                        |        |
|    | राष्ट्रियस्तर (राज्यभर) का डिस्ट्रीब्युटर्स                                                                                                                              | १२०००। |
|    | क्षेत्रियस्तरका डिस्ट्रीब्युटर्स                                                                                                                                         | ८०००।  |
|    | जिल्लास्तरका डिस्ट्रीब्युटर्स                                                                                                                                            | ६०००।  |
|    | थोक विक्रेता                                                                                                                                                             | २५००।  |
|    | खुद्रा विक्रेता                                                                                                                                                          | २०००।  |
|    | मदिरा बाहेकको पेय पदार्थ बेच्ने पसल                                                                                                                                      | २५००।  |
| २९ | <b>टेन्ट हाउस :</b>                                                                                                                                                      |        |
|    | क्याटरिङ सहितको टेन्ट हाउस पसल                                                                                                                                           | ५०००।  |
|    | टेन्ट हाउस मात्र                                                                                                                                                         | १५००।  |
|    | माईक बिजुली डेकोरेसन, बैण्ड बाजा पसल                                                                                                                                     | १०००।  |
|    | टेन्ट उद्योग (सामाग्री बनाउने)                                                                                                                                           | ३०००।  |
|    | कुनै शुभकार्यका लागि सार्वजनिक तथा सडक क्षेत्रमा टेन्ट लगाउनु पर्ने भएमा उपमहानगरपालिका द्वारा पूर्व स्वीकृती लिई आवागमनमा अवरोध नहुने गरी मात्र टेन्ट लगाउनु पर्ने छ ।) |        |
| ३० | <b>कलरल्याब तथा फोटो स्टुडियो</b>                                                                                                                                        |        |
|    | कलरल्याब                                                                                                                                                                 | ४०००।  |

|    |                                                                                                 |        |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|    | फोटो स्टुडियो                                                                                   | १५००।  |
|    | फ्रेम हाउस                                                                                      | १०००।  |
| ३१ | <b>इन्टिच्युट,प्रतिष्ठान तथा तालिम केन्द्र :</b>                                                |        |
|    | मेन ईन्टरनेट व्यवसायी -                                                                         | १००००। |
|    | सर्वर राख्ने इमेल इन्टरनेटका व्यवसायीहरु                                                        | ३०००।  |
|    | कम्प्युटर तथा पार्टस थोक विक्रेता                                                               | ५०००।  |
|    | कम्प्युटर खुद्रा विक्रेता                                                                       | २०००।  |
|    | कम्प्युटर प्रशिक्षण केन्द्र र भाषा प्रशिक्षण ट्युसन ईन्स्टीच्युट, नृत्य प्रशिक्षण               | ३५००।  |
|    | फोटो कपी तथा डेस्कटप                                                                            | १०००।  |
|    | सवारी चालक तालिम                                                                                | २५००।  |
|    | केवल नेटवर्क सर्भिस                                                                             | ५०००।  |
|    | अनलाईन व्यवसायी                                                                                 | १५००।  |
|    | अनलाइन फर्म फर्ने                                                                               | १५००   |
|    | फोटोकपी तथा लेमिलेसन                                                                            | १५००।  |
|    | रिचार्ज र सिम बेच्ने पसल                                                                        | २०००।  |
|    | अनलाइन सफ्टवेयर                                                                                 | ३०००।  |
| ३२ | <b>निजी क्षेत्रका बिधालय</b>                                                                    |        |
|    | क वर्ग                                                                                          | १५०००। |
|    | ख वर्ग                                                                                          | १००००। |
|    | ग वर्ग                                                                                          | ५०००।  |
|    | घ वर्ग                                                                                          | १०००।  |
|    | सी.टी.भि.टी तथा विश्व बिधालयबाट स्वीकृती लि बिभिन्न कार्यक्रम संचालन गर्ने कलेज विश्व बिधालयलाई |        |
|    | १.प्राविधिक शिक्षालय तर्फ                                                                       | १५०००। |
|    | २.साधारण तर्फ                                                                                   | १००००। |
|    | होस्टल (५० जना भन्दा कम विद्यार्थी)                                                             | ३०००।  |
|    | हास्टेल (५० जना भन्दा बढी विद्यार्थी)                                                           | ५०००।  |
| ३३ | <b>छापाखाना अफसेट प्रिन्टिङ्ग प्रेस :</b>                                                       |        |
|    | फ्लेक्स प्रिन्टलाई                                                                              | ६०००।  |
|    | छापाखाना तथा अफसेट सबै भएको                                                                     | ३०००।  |
|    | हातले लेखाई गर्ने बाट                                                                           | १०००।  |
|    | पत्रिकामात्र प्रकाशन गर्ने प्रकाशक                                                              | १०००।  |
| ३४ | <b>ट्रान्सपोर्ट व्यवसाय</b>                                                                     | ६०००।  |
|    | <b>यातायात व्यवसायी</b>                                                                         | ३०००।  |
| ३५ | <b>कपडा तथा फेन्सी पसल :</b>                                                                    |        |
|    | काँचो कपडाको थोक विक्रेतालाई                                                                    | ७०००।  |
|    | काँचो कपडाको खुद्रा विक्रेतालाई                                                                 | ३५००।  |

|    |                                                           |        |
|----|-----------------------------------------------------------|--------|
|    | रेडिमेड कपडाको थोक बिक्रेतालाई                            | ६०००।  |
|    | रेडिमेड कपडाको खुद्रा बिक्रेतालाई                         | ३०००।  |
|    | काँचो र खुद्रा दुबै कपडाको बिक्रेतालाई                    | ८०००।  |
|    | व्याग, बेल्ट पसल                                          | २५००।  |
| ३६ | <b>स्टेसनरी तथा पुस्तक पसल</b>                            |        |
|    | थोक तथा खुद्रा स्टेसनरी पसल                               | २५००।  |
|    | खुद्रा स्टेसनरी पसल                                       | १०००।  |
|    | किताब तथा कापी बिक्रि पसल                                 | १०००।  |
|    | कापी मात्र बिक्रि पसल                                     | ५००।   |
|    | कापी किताब उद्योग                                         | ५०००।  |
| ३७ | <b>गल्ला, किराना तथा बिसात खाना :</b>                     |        |
|    | गल्ला तथा खाद्यान्न थोक बिक्रेता                          | ५०००।  |
|    | गल्ला तथा खाद्यान्न खुद्रा बिक्रेता                       | २५००।  |
|    | चुडि पोतेको थोक बिक्रेता                                  | ३०००।  |
|    | चुडि पोतेको खुद्रा बिक्रेता                               | १५००।  |
|    | धागो, चैन, टाक इत्यादी बेच्ने पसल                         | १५००।  |
|    | अन्य खुद्रा बिक्रि पसल                                    | १५००।  |
|    | पुजा सामाग्री बिक्रि                                      | २०००।  |
|    | होम डेलिभेरी फुड                                          | २०००।  |
|    | होम डेकोरेसन सामाग्री                                     | ३०००।  |
| ३८ | <b>तरकारी पसल :</b>                                       |        |
|    | थोक तथा आहुत पसल                                          | २५००।  |
|    | फुटकर पसल                                                 | ५००।   |
| ३९ | <b>हार्डवेयर पसल :</b>                                    |        |
|    | हार्डवेयर पसल                                             | १००००। |
|    | हार्डवेयर पसल (सरिया, सिमेन्ट,सिसा प्लाई मात्र)           | ४०००।  |
|    | सटरिड तथा फर्मा                                           | १०००।  |
|    | हार्डवेयर (किल्ला, काँटी, कब्जा)                          | ४०००।  |
|    | ग्रिल पसल साधारण                                          | ३०००।  |
|    | ग्रिल उद्योग                                              | ५५००।  |
|    | मेटलको भयाल ढोका                                          | ३०००।  |
| ४० | <b>डिपार्टमेन्टल स्टोर/मार्ट/सुपरमार्केट/भाडा पसल:</b>    |        |
|    | चेन सहितको अत्याधुनिक सुविधायुक्त सुपरमार्केट             | २५०००। |
|    | डिपार्टमेन्टल स्टोर/मार्ट एक तलाको लागि                   | १००००। |
|    | डिपार्टमेन्टल स्टोर/मार्ट एक तला भन्दा बढिको लागि एकमुष्ट | १५०००। |
|    | भाँडाको सो रुम                                            | ७५००।  |

|    |                                                             |        |
|----|-------------------------------------------------------------|--------|
|    | भाँडा बेच्ने पसल                                            | २०००।  |
|    | फलामे पसल                                                   | १०००।  |
|    | फलाम मात्र बेच्ने पसल                                       | २०००।  |
| ४१ | <b>पशु आहार :</b>                                           |        |
|    | उधोग तर्फ                                                   | ७५००।  |
|    | खुद्रा बिक्रिलाई                                            | २०००।  |
| ४२ | <b>लेखा परिक्षक कम्पनीलाई</b>                               | २०००।  |
|    | <b>लेखा परीक्षक :</b>                                       |        |
|    | क श्रेणी लाई                                                | ५०००।  |
|    | ख श्रेणीलाई                                                 | २०००।  |
|    | ग/घ श्रेणीलाई                                               | १०००।  |
|    | लेखा परामर्श सेवा                                           | ५०००।  |
|    | परामर्श सेवा                                                | २०००।  |
|    | लेखापढी व्यवसायी                                            | २०००।  |
| ४३ | <b>संचार सेवा :</b>                                         |        |
|    | पि.सि.ओ. ,फ्याक्स सेवा, एस.टि. डि., आइ.एस.टि.डि., लोकललाई   | ५००।   |
|    | इमेल,इन्टरनेट,फोटोकपी भएकालाई थप                            | ५००।   |
|    | टेलिकम्युनिकेशन सम्बन्धि थोक बिक्रेता                       | ५०००।  |
|    | कुरीयर सेवा                                                 | ५००।   |
| ४४ | <b>गैरसरकारी संस्था :</b>                                   |        |
|    | पेशा/सेवा शुल्क(नाफामूलक भएमा)                              | १०००।  |
|    | सिफारिस दस्तुर(संस्था दर्ता/नविकरण)                         | ५००।   |
|    | अन्यत्र प्रधान कार्यालय भई यस उपमनपामा शाखा विस्तार सिफारिश | ५००।   |
|    | परियोजना सञ्चालन पूर्व सहमती सिफारिस                        | ५००    |
| ४५ | <b>कन्सल्टेन्सी सेवा :</b>                                  |        |
|    | कन्सल्टेन्सी, इन्जीनियर, प्राविधिक सेवा(व्यवसाय दर्ता)      | २०००।  |
|    | नक्शापास अनुमती दर्ता प्रमाणपत्र                            | ५५००।  |
|    | ई-रिक्सा ब्लुबुक प्रतिलिपी                                  | १००।   |
|    | भन्सार एजेन्ट                                               | २०००।  |
|    | सिभिल ल्याब                                                 | ४०००।  |
| ४६ | <b>कंक्रीट उद्योग :</b>                                     |        |
|    | हलोव्लक                                                     | ५०००।  |
|    | ढुङ्गा, गिटी, बालुवा,कंक्रीट, हयुमपाइप                      | १५०००। |
|    | सेनेटरी प्याड उद्योग                                        | ५०००।  |
|    | ईटा भट्टा दर्ता तथा नविकरण                                  | २००००। |
|    | माटो, गिटी, बालुवा, सप्लायर्स                               | ७५००   |
| ४७ | <b>प्लाष्टिक उद्योग :</b>                                   | १००००। |

|    |                                                                         |        |
|----|-------------------------------------------------------------------------|--------|
| ४८ | पानी उद्योग                                                             | ३०००।  |
| ४९ | बिस्कुट तथा पाउरोटि उद्योग                                              |        |
|    | बिस्कुट पाउरोटि उद्योग                                                  | १५००।  |
| ५० | चकलेट उद्योग                                                            | ५०००।  |
| ५१ | अगरबत्ती तथा मोमबत्ती उद्योग                                            | १५००।  |
| ५२ | कपडा उद्योग :                                                           |        |
|    | कपडा उद्योग                                                             | १००००। |
|    | गारमेन्ट उद्योग                                                         | ५०००।  |
| ५३ | फर्निचर उद्योग :                                                        |        |
|    | स्टील फर्निचर उत्पादन तथा बिक्री                                        | ५०००।  |
|    | स्टील काठ दुबै फर्निचर बिक्री गर्ने                                     | ४०००।  |
|    | स्टील फर्निचर खुद्राबिक्री गर्ने                                        | २०००।  |
|    | काठको फर्निचर                                                           | २५००।  |
|    | बेतबाँसको फर्निचर बिक्री                                                | १५००।  |
|    | फोम तथा कार्पेट बिक्री                                                  | ४०००।  |
|    | कपास र सिरक डसना बेच्नेलाई                                              | २५००।  |
|    | फर्निचर रंगरोगन, मर्मत, डेकोरेशन                                        | २५००।  |
|    | स्टील दराज, फर्निचर मर्मत सम्बन्धी सामान बिक्री, पेन्टिङ                | ४०००।  |
| ५४ | स-मिल :                                                                 |        |
|    | स-मिल (काठ चिउने बेच्ने)                                                | १५०००। |
|    | काठ बिक्री डिपो                                                         | ३०००   |
| ५५ | बरफ तथा आईसक्रिम उद्योग :                                               |        |
|    | बरफ तथा आईसक्रिम उद्योग                                                 | ४०००।  |
|    | कनफेक्सनरी उद्योग                                                       | ५००।   |
|    | केक बिक्री                                                              | २५००।  |
| ५६ | कुटानी, पिसानी, पेलानी मिल :                                            |        |
|    | आधुनिक सेलर राईस प्लान्ट राखी चामल, दाल, पीठो पिसानी र पेलानी समेत भएको | ५०००।  |
|    | हलर हषकर र चक्की राखी चामल, दाल, पीठो पिसानी र पेलानी समेत भएको         | १०००।  |
|    | मसला पिस्ने, कुटानी, पिसानी र पेलानी मध्ये कुनै एक भएको                 | १०००।  |
|    | प्लाईउड इन्डस्ट्रिज                                                     | १५०००। |
| ५७ | ईन्जिनियरिङ वर्कसप :                                                    |        |
|    | सप्लायर तथा मर्मत दुबै गर्नेलाई                                         | ७५००।  |
|    | ग्रिल सटर बनाउनेलाई                                                     | ३०००।  |
|    | ग्यास बनाउने                                                            | १५००।  |
|    | ग्यास चुलो सामाग्री बिक्री र मर्मत                                      | २५००।  |
| ५८ | बिजुली सामाग्री बिक्री पसल                                              |        |

|    |                                                       |        |
|----|-------------------------------------------------------|--------|
|    | बिजुलीको सम्पूर्ण सामानहरुको सप्लायर्स र थोक बिक्रेता | ५०००।  |
|    | बिजुलीको सामानहरुको खुद्रा बिक्रेता                   | ३०००।  |
|    | सोलार व्यवसायी                                        | २५००   |
| ५९ | <b>जडिबुटि :</b>                                      |        |
|    | जडिबुटि प्रसोधन व्यवसाय                               | १००००। |
|    | जडिबुटि बिक्रि बितरण                                  | २५००।  |
| ६० | <b>घरेलु उद्योग :</b>                                 |        |
|    | टिनको बाकस बनाउने उद्योग                              | २५००।  |
|    | टिनको बाकस बिक्रि गर्ने                               | १५००।  |
|    | तामा,ढलोटको र आल्मोनियम भांडा उद्योग                  | ३०००।  |
|    | तामा,ढलोटको र आल्मोनियम भांडा बिक्रि गर्ने            | १०००।  |
|    | डिस्टील वाटर तथा एसिड उत्पादन गर्ने                   | ५०००।  |
|    | डिस्टील वाटर तथा एसिड उत्पादन बिक्री गर्ने            | १०००।  |
|    | डेरी पसल                                              | १०००।  |
|    | माथी उल्लेख नभएको साना घरेलु उद्योगहरुलाई             | १०००।  |
|    | धागो उद्योग                                           | ५०००।  |
|    | ड्राइफुड प्याकेजिङ                                    | २५००।  |
|    | ड्राइफुड उद्योग                                       | ५०००।  |
|    | अचार तथा मसाला उद्योग                                 | ५०००।  |
|    | अचार तथा मसाला बिक्री                                 | ३०००।  |
|    | फ्रोजन फुड उत्पादन                                    | २०००।  |
|    | वर्तन उद्योग ठुलो                                     | ३००००। |
|    | वर्तन उद्योग ठुलो                                     | १००००। |
|    | माटोको भाडा निर्माण तथा बिक्री                        | १०००।  |
|    | सिमेन्टको रिंग तथा पोल उद्योग                         | ४०००।  |
| ६१ | <b>प्लाष्टिक सामग्री बिक्रेता :</b>                   |        |
|    | थोक बिक्रेता                                          | ४०००।  |
|    | खुद्रा बिक्रेता                                       | २०००।  |
|    | शिसा,फ्रेम,प्लाइउड र सनमाइका                          | ३०००।  |
|    | प्लाईउड इन्डस्ट्रिज                                   | २५०००। |
|    | प्लास्टिक बोरा उत्पादन                                | ३०००।  |
|    | ब्रस उद्योग                                           | ४०००।  |
| ६२ | <b>रंगरोगन पसल :</b>                                  |        |
|    | रंगरोगन सामानको थोक बिक्रेतालाई                       | ७०००।  |
|    | रंगरोगन सामानको खुद्रा बिक्रेतालाई                    | ५०००।  |
| ६३ | <b>शिलालेख पसल :</b>                                  |        |
|    | शिलालेख लेख्ने पसललाई                                 | १०००।  |

|    |                                                       |        |
|----|-------------------------------------------------------|--------|
| ६४ | हाउजिङ कम्पनी तथा घरजग्गा खरिद बिक्रि तर्फ रियल स्टेट | २५०००। |
| ६५ | डिपो/गोदाम                                            | ३०००।  |
| ६६ | बाथरुम सम्बन्धी सामग्री खुद्रा                        | २५००।  |
| ६७ | बाथरुम सम्बन्धी सामग्री थोक                           | ५०००।  |
| ६८ | खाद्यबस्तु तथा खाद्य प्रशोधित बस्तुहरु उत्पादन उद्योग | १००००  |
| ६९ | सरसरफाई सम्बन्धी सामग्री                              | ३०००   |
| ७० | मेडिकेटेड कस्मेटिक सामग्री खुद्रा                     | ३०००   |
| ७१ | मेडिकेटेड कस्मेटिक सामग्री थोक                        | ५०००   |
| ७२ | इलेक्ट्रीक र इलेक्ट्रोनिक सामान एसेम्बल               | ३०००   |
| ७३ | टुर्स एण्ड ट्राभल्स                                   | ५०००   |
| ७४ | घडी पसल                                               | २५००   |
| ७५ | गिफ्ट पसल                                             | २५००   |
| ७६ | डेरी उद्योग                                           | ३०००   |
| ७७ | सेक्युरिटी फर्म                                       | २०००   |
| ७८ | घ बर्ग बाहेक अन्य ठेक्का कारोबार गर्ने                | ५०००   |
| ७९ | तेल उद्योग                                            | ५०००   |
| ८० | कार्यक्रम संचालन/आयोजना                               | ३०००   |
| ८१ | कफी ट्रेनिङ्ग सेन्टर (क्याफे सहित भएमा मात्र)         | १०००   |
| ८२ | प्लास्टिक पाइप खुद्रा                                 | २५००   |
| ८३ | प्लास्टिक पाइप थोक                                    | ५०००   |

- मानव स्वास्थ्यलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने खालका उद्योग स्थापना गर्नु परेमा नगर कार्यपालिकाको निर्णय अनुसार हुनेछ।
- यस उप-महानगरपालिकामा व्यवसाय दर्ता भएका तर विगत लामो समयदेखि नविकरण नभएका व्यवसायको हकमा आ.ब.२०८०/८१ र ८१/८२ को (जरिवाना सहित) नविकरण दस्तुर र चालु आ.ब.को नविकरण दस्तुर एवम् आ.ब. २०८०/८१ देखि चालु आ.ब. सम्मको बहाल कर लिई व्यवसाय नविकरण गर्ने तथा यो सुविधा एक पटकका लागि मात्र रहने।
- कुनै पहिले दर्ता भएको व्यवसायमा समान प्रकृतिका अन्य व्यवसाय थप गर्नु पर्दा थप सहित सबैभन्दा अधिकतम शुल्क लाग्ने व्यवसायको उल्लेखित दर बमोजिम शुल्क लिई बाँकीको उल्लेखित दरको ५०% थप शुल्क लाग्नेछ।

## अनुसूची ५

### जडीबुटी, कवाडी र जीवजन्तु कर

यस उप महानगरपालिका क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले ऊन, खोटो, जडिबुटी, वनकस, कवाडी माल र प्रचलित कानूनले निषेध गरिएको जीवजन्तु बाहेकका अन्य मृत वा मारिएका जीवजन्तुको हाड, सिङ, प्वाँख, छाला जस्ता बस्तुको व्यवसायिक कारोवार गरेवापत देहाय बमाजिमको शूलक (मू.अ.क.सहित) लगाईने र असुल उपर गरिनेछ ।

| क्र.स. | कवाडी सामानहरूको विवरण                                                                                         | दरहरू रु. |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| १      | कागज तथा कार्टुनजन्य पदार्थहरू प्रति के.जि.                                                                    | रु.१।००   |
| २      | जे जस्तो अवस्थामा छ पुनःसोही रूपमा प्रयोग गर्न सकिने                                                           |           |
| २.१    | खाली शिशी (वियरको) हल्का पेय पदार्थ बाहेक प्रतिगोटा                                                            | रु.१।००   |
| २.२    | खाली शिशी (५०० एम.एल.भन्दा माथि) प्रतिगोटा                                                                     | रु.१।००   |
| २.३    | खाली शिशी (५०० एम.एल.भन्दा तल प्रतिगोटा                                                                        | ०.२५ पैसा |
| २.४    | प्लाष्टिक बोतल, भाडा, कुडा, पुराना जुत्ता चप्पल र ग्यालेन प्रतिगोटा                                            | ०.५० पैसा |
| ३      | खाली बोरा प्रतिगोटा                                                                                            |           |
| ३.१    | जुटको बोरा १०० के.जि.क्षमताको प्रतिगोटा                                                                        | रु.१।००   |
| ३.२    | जुट तथा प्लाष्टिकको बोरा ५० के.जि.क्षमताको प्रतिगोटा                                                           | ०.५० पैसा |
| ४      | तेलको टिन प्रतिगोटा                                                                                            |           |
| ४.१    | १० लि.भन्दा बढि क्षमताको                                                                                       | रु.१।००   |
| ४.२    | १० लि.भन्दा कम क्षमताको                                                                                        | ०.५० पैसा |
| ५      | पुनः प्रशोधन गरी प्रयोग गर्न सकिने                                                                             |           |
| ५.१    | झिण्डु (प्राकृतिक र कृतिम उनका टुक्रा) प्रति के.जि.                                                            | रु.१।००   |
| ५.२    | गार्मेन्टका कपडाका टुक्रा प्रति के.जि.                                                                         | रु.१।००   |
| ५.३    | जलेको मोबिल प्रतिलिटर                                                                                          | रु.१।००   |
| ५.४    | जुट र प्लाष्टिकका बोरा फाटेका प्रति के.जि.                                                                     | रु.१।००   |
| ५.५    | प्लाष्टिकका टुक्रा प्रति के.जि.                                                                                | रु.१।००   |
| ५.६    | पुराना टायर र ट्युब प्रति के.जि.                                                                               | रु.१।००   |
| ५.७    | खाली टिन प्रति के.जि.                                                                                          | रु.१।००   |
| ५.८    | पुरानो ड्रम प्रति के.जि.                                                                                       | रु.१।००   |
| ६      | धातुका कवाडी सामानहरू प्रति के.जि.                                                                             |           |
| ६.१    | फलामजन्य सामान तथा आइरन डस्ट टुक्रा प्रति के.जि.                                                               | रु.१।००   |
| ६.२    | अन्य धातुजन्य पित्तल,तामा,जिङ्ग आदीका सामान तथा टुक्राहरु,पुरानो ब्याट्री (अल्मुनियम प्रयोग भएको) प्रति के.जि. | रु.१।५०   |
| ६.३    | बिग्रेका मेशीनरी औजार तथा पाटपुर्जा प्रति के.जि.                                                               | रु.१।५०   |

|     |                                                                                                                                          |            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ७   |                                                                                                                                          |            |
| ७.१ | पेलिथिन पाईपका टुक्रा प्रति के.जि.                                                                                                       | रु.१।००    |
| ७.२ | सिसा( लिडका टुक्रार धुलो) प्रति के.जि.                                                                                                   | रु.१।००    |
| ७.३ | काँचको टुक्रा र धुलो प्रति के.जि.                                                                                                        | रु.१।००    |
| ७.४ | मिनरल वाटरको बोतलहरु प्रतिगोटा                                                                                                           | ०.२० पैसा  |
| ८   | पिना प्रति के.जि.                                                                                                                        | ०.१२ पैसा  |
| ९   | भुस(धान र गहु) ६ पांग्रे ट्रक प्रति ट्रक                                                                                                 | रु.५००।००  |
| १०  | भुस(धान र गहु) १० पांग्रे ट्रक प्रति ट्रक                                                                                                | रु.१०००।०० |
| ११  | चोकरःब्रान प्रति के.जि.                                                                                                                  | ०.१०पैसा   |
| ११  | जडिबुटी वा जिवजन्तु (प्रचलित कानूनले निषेध गरिएको जिवजन्तु बाहेकका मृत वा मारिएका जिवजन्तुको हाड,सिंग,प्वाँख र छाला) को हकमा प्रति ट्रीप | रु.२५००।०० |

**अनुसूची ६**  
**सवारी कर**  
**दफा ७ संग सम्बन्धित**  
**सवारी साधन कर (साना सवारी)**

| क्र.स. | विवरण     | करका दर रु. |           |
|--------|-----------|-------------|-----------|
|        |           | दर्ता       | नविकरण    |
| १      | ई-रिक्सा  | रु.१०००।००  | रु.५००।०० |
| २      | नामसारी   | रु.५००।००   |           |
| ३      | लगत कट्टा | रु.५००।००   |           |
| ४      | प्रतिलिपी | रु.५००।००   |           |

नविकरण अवधि समाप्त भएको इ-रिक्सा नविकरण गर्दा प्रति वर्ष रु.१०० का दरले थप जरिवाना लिने ।

## अनुसूची ७

### विज्ञापन कर:

नेपालगञ्ज उप-महानगरपालिका क्षेत्रभित्र प्रचार सामाग्री निजी वा सार्वजनिक दुबैमा प्रयोगमा आउने विज्ञापनमा विज्ञापन करका देहाय बमोजिमको दर (मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेक) रहनेछ

१. होडिड बोर्ड प्रतिवर्गफुट वार्षिक रु.१००।

२. विद्युतिय होडिड बोर्ड प्रतिवर्गफुट वार्षिक रु.१५०।

३. 2D/3D ग्लो साइन बोर्ड, ए.सि.पि. प्रतिवर्गफुट रु.१००।

४. Digital Board/Neon Shine Board प्रतिवर्गफुट रु.५०। (मासिक)/ रु.५०० (वार्षिक)

५. Flex Board/DPS Board प्रतिवर्गफुट वार्षिक रु.५०।

६. सटर/वाल पेन्टीड प्रतिवर्गफुट वार्षिक रु.२०।

७. माइकिड नगरक्षेत्रभित्र (जुनसुकै सवारी साधनमा भएपनि) रु.१५०। (प्रतिदिन)

८. छाता, फ्लेन्जर, बेलुन, डमि, स्टल प्रतिदिन प्रतिगोटा रु.२००।

९. पोल ब्यानर, बस ब्यानर प्रतिहप्ता रु.१००।

१०. ट्राफिक आइल्याण्ड विज्ञापन वार्षिक प्रति आइल्याण्ड रु.१५,०००।

११. कुनै मेला, महोत्सवमा विज्ञापनकर (मेला अवधिभर) रु.५०००।

१२. बस स्टप विज्ञापन बोर्ड प्रति बस स्टप वार्षिक रु.१०,०००।

१३. उप-महानगरपालिका सँग सम्झौता भइसकेका कर संकलन गर्न नहुने क्षेत्र बाहेकका सोलार तथा विद्युतिय पोलहरुमा गरिएका विज्ञापनहरुको प्रतिगोटा वार्षिक रु.३५०।

### नोट:

- मदिरा तथा सुर्तिजन्य पदार्थको विज्ञापनमा २५ प्रतिशत थप शुल्क लिने।
- उप-महानगरपालिकाबाट स्वीकृत नलिइ राखिएका प्रचार सामाग्रीमा मनासिव देखिए शतप्रतिशत जरिवाना लिएर अनुमती दिन सकिने।
- परिचय पाटीको हकमा ४.५ वर्गफिट सम्मको मात्र प्रचार सामाग्री राख्न पाउनेछ। सो भन्दा ठूलो आकारको राखेमा माथि उल्लेखित प्रचार सामाग्री सरह शुल्क लिने।
- नगरपालिका भित्रका चलचित्र हलहरुबाट नगरपालिकालाई मनोरञ्जन कर प्राप्त हुने भएकोले प्रचार प्रसार छुट दिने।
- निजी वा सार्वजनिक स्थानमा होर्डिड बोर्ड राख्दा यस कार्यालयको पूर्वस्वीकृति लिई राख्नुपर्नेछ।
- डिजिटल बोर्ड पूर्णरूपमा लागु भएको खण्डमा अन्य विज्ञापन करहरु लागु हुनेछैन।

## अनुसूची ८

### मनोरञ्जन कर:

नेपालगञ्ज उप-महानगरपालिका क्षेत्रभित्र कुनै मेला महोत्सव सञ्चालन गर्नुपुर्व इजाजत लिएर मात्र गर्नुपर्नेछ।

| क्र.स. | शिर्षकहरु                     | इजाजत शुल्क |
|--------|-------------------------------|-------------|
| १      | ५ दिन सम्मको मेला महोत्सव भए  | ५००००/-     |
| २      | १० दिन सम्मको मेला महोत्सव भए | १०००००/-    |
| ३      | १५ दिन सम्मको मेला महोत्सव भए | १५००००/-    |

साथै मनोरञ्जन कर आर्थिक कारोबारको आधारमा लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक ऐनमा तोके बमोजिम हुनेछ ।

### अनुसूची ९ बहाल बिटौरी शुल्क

उप-महानगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेका सटर, गोदाम, खाली जग्गाहरुमा राजस्व परामर्श समितिको सिफारिशमा भाडा लगाई नेपालगञ्ज उप-महानगरपालिकाक्षेत्रभित्र आफुले निर्माण, रेखदेख वा संचालन गरेकामा उल्लेख भए अनुसारका जग्गा, घर, भवन, हाट बजार वा पसलमा सोही व्यवस्था अनुसार बहाल बिटौरी शुल्क लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।

### अनुसूची १०

#### पार्किंग शुल्क

१. नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका, वडा नं.४ स्थित बसपार्कको सवारीसाधन पार्किङ तथा सार्वजनिक शौचालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि व्यवस्थापन सार्वजनिक यात्रुसेवामा चल्ने यातायात सेवाको Route तथा दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरिने.

Local Route- (बाँके जिल्ला भित्र चल्ने सवारी साधनहरु ।

Short Route (बर्दिया, सुर्खेत र दाङ्ग जिल्ला सम्म चल्ने साधनहरु ।

Long Route (माथि उल्लेखित क्षेत्र भन्दा बाहिर जाने सवारी साधनहरु ।

(क) बसपार्कमा सवारी साधनको पार्किङ सेवा शुल्क (भ्याट सहित) को दररेट

| क्र.स. | विवरण                                                           | दररेट मु.अ.कर सहित |
|--------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|
| १      | Long Route मा चल्ने Bus/MiniBus/ Micro Bus                      | रु.१५०।०० प्रतिपटक |
| २      | Short Route मा चल्ने Bus/MiniBus/ Micro Bus                     | रु.१००।०० प्रतिपटक |
| ३      | Local Route मा चल्ने Bus/MiniBus/ Micro Bus                     | रु.५०।०० प्रतिदिन  |
| ४      | टाटा, सोमो, हायस, जीप आदि                                       | रु.७५।०० प्रतिपटक  |
| ५      | रात्रिकालिन विश्राम सबै सवारी साधन - एकरात भन्दा बढि बस्ने भएमा | रु.१००।०० प्रतिदिन |

२. उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र नगरकार्यपालिकाले तोकेका स्थान तथा ईजाजत दिएका पार्किङस्थलबाट निम्न बमोजिम पार्किङशुल्क लिईनेछ ।

क) साइकल रु.५ ।

ख) मोटरसाइकल रु.१० ।

ग) कारजिप रु.२० ।

घ) ट्रक रु.४० ।

## अनुसूची ११

ट्रेकिङ्ग, कोयोकिड, क्यानोइङ्ग, बन्जी जम्पिङ्ग, जिपफ्लायर, बोटिङ र ज्याफ्टीङ्ग शुल्कः

क) वाटरपार्कको बोटिङ्ग शुल्कः

अ) तिन फन्का राउण्डको रु.२००।

आ) थप एक फन्का (राउण्ड) सहित रु.२५०।

ख) कान्तितालको बोटिङ्ग शुल्कः

अ) तिन फन्का राउण्डको रु.२००।

आ) थप एक फन्का (राउण्ड) सहित रु.२५०।

बोटिङ समय बिहान सुर्‍योदय देखि बेलुका सुर्यास्त सम्म हुनेछ ।

## अनुसूची १२

सेवा शुल्क, जरिवाना तथा दस्तुरः

१. भाडा महसुल उपभोग तथा सेवा शुल्क

क) कार्यालयको सवारी साधनको प्रयोग वापत शुल्कः

| क्र.स. | विवरण | दर                        | चालक खर्च                | इन्धन तथा सामान्य मर्मत व्यवस्था       | धरौटी                     |
|--------|-------|---------------------------|--------------------------|----------------------------------------|---------------------------|
| १      | डोजर  | रु.२,३००।००<br>प्रतिघण्टा | रु.१,०००।००<br>प्रतिदिन  | भाडामा लैजाने पक्षले<br>व्यहोर्नुपर्ने | जम्मा रकमको दोब्बर<br>रकम |
| २      | टिफर  | रु.७,०००।००<br>प्रतिदिन   | रु. ५००।००<br>प्रतिदिन   | भाडामा लैजाने पक्षले<br>व्यहोर्नुपर्ने | जम्मा रकमको दोब्बर<br>रकम |
| ३      | रोलर  | रु. ६,०००।००<br>प्रतिदिन  | रु. १,०००।००<br>प्रतिदिन | भाडामा लैजाने पक्षले<br>व्यहोर्नुपर्ने | जम्मा रकमको दोब्बर<br>रकम |

- चालक खर्च भाडामा लिने पक्षले दिने ।
- नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको वडा कार्यालयको काममा सवारी साधन काम गर्न गएको अवस्थामा चालक र इन्धन खर्च सम्बन्धित वडा कार्यालयले नै व्यहोर्ने ।

ख) महेन्द्रपार्क तथा अन्य पार्कहरु

- क) प्रवेश शुल्क प्रति व्यक्ति रु. २५।००
- ख) मासिक दैनिक व्यायाम गर्ने प्रयोजनको लागी प्रतिव्यक्ति शुल्क रु. २०० (मासिक)
- ग) पिकनिक प्रयोजनको लागी (प्रतिदिन)
- १. २० जना भन्दा कम भएमा रु. ५००

- २. २० जना भन्दा बढि भएमा रु. १०००
- घ) महेन्द्र पार्कको परिसरभित्र विवाह, बर्तबन्ध जस्ता कार्यक्रमका लागी प्रतिदिन रु.११,०००। (साउण्ड सिस्टम बजाउन नपाइने)
- ङ) विद्यार्थी, शिक्षकहरु विद्यालयको पत्र सहित अध्ययन अवलोकन भ्रमणमा आएमा प्रति समुह रु.१२५

#### ग) रानि तलाउ प्रवेश शुल्क

| क्र.स. | बिवरण                                        | शुल्क        |
|--------|----------------------------------------------|--------------|
| १      | प्रवेश शुल्क वापत प्रतिव्यक्ति               | रु.१०।००     |
| २      | बोटिङ्ग शुल्क वापत प्रतिव्यक्ति              | रु.२५।००     |
| ३      | व्यवसायिक प्रयेजनको लागी मुभि प्रति क्यामेरा | रु. २,०००।०० |

#### घ) काजी हाउस

सुंगुर, बंगुर, खच्चर भैसि, रागा धोडा, गोरु, खसि, बाखा, बोका, भेडा (प्रति दिन प्रति जीव) रु.१५००।—  
 बाच्छा बाच्छी, पाडापाडी (प्रति दिन प्रति जीव) रु. ७५०।—  
 गधा (प्रति दिन प्रति जीव) रु.३००।—  
 निजी जिवजन्तु मरी न.पा.द्वारा फाल्नु परेमा (प्रतिजीव) रु. १०००।—

नोट: उपरोक्त बस्तु ७ दिन भित्र छुटाई नलगेमा लिलाम गर्ने र प्रतिदिन भन्नाले २४ घण्टा बुझीने छ ।

- छाडा रहेका पशुहरु सर्वसाधारणले पक्राउ गरी कान्जी हाउसमा बुझाएमा तत्कालै प्रति जिउ रु.१००। पुरस्कार दिने र पशुधनी छुटाउन आएमा उक्त रकम थप गरी असुल गर्ने ।

#### ङ) शुल्क शौचालय

प्रति पटक प्रति ब्यक्ति- पिसाव, दिशा तथा स्नान गर्दा क्रमशः रु. ५। (पाँच), रु.१०। (दश) र रु.२०। (वीस)

#### २. शुल्क तथा दस्तुर

##### क) सम्पति मुल्यांकन शुल्क

क) सबै किसिमको चार किल्लालाई प्रमाणित दस्तुर रु. ५००।००

##### ख) दस्तुर दण्ड जरिवाना धरौटी फिर्ता र जफत

- नक्कल (सम्पत्तीकरको प्रतिपाना रु.५ र ब्यवसाय दर्ताको प्रमाणपत्र प्रतिलिपी रु.५०) र निवेदन दस्तुर रु.१०
- अन्य फाराम दस्तुर नियमानुसार

- व्यवसाय करको हकमा चालु वर्षको कर आश्विन मसान्त भित्र नविकरण गर्न आएमा १५ प्रतिशत छुट दिईनेछ र विगत आ.व.को बक्यौता रहेमा १५ प्रतिशतका दरले जरिवाना लगाउने ।
- भरुवा बन्दुकमा नविकरण दस्तुर ऐन नियम बमोजिम लाग्ने छ ।
- रिक्सा, टांगाको दर्ता र नविकरण गर्ने ।
- उप-महानगरपालिकाले भाडामा लगाएका संरचनाहरूमा खपत भएको बिद्युतको बिद्यत महशुल तोकिएको समयमा नबुझाएमा बिद्युत महशुलमा थप १५ प्रतिशत जरिवाना लिने ।

### ३. नगर प्रहरीले जफत गरेका सामग्रीहरू सम्बन्धित ब्यक्तिलाई फिर्ता गर्दा लाग्ने जरिवाना:

#### क) पहिलो पटकको जरिवाना

- तराजु रु.१००।
- ठेला रु.३००।
- ग्याँस सिलिण्डर ठूलो रु.३००।
- ग्याँस सिलिण्डर सानो रु.१५०।
- प्लाष्टिक क्यारेट रु १००।

#### ख) निर्माण सामग्रीहरू

- घर निर्माण सामग्री तथा घर निर्माण गर्ने औजारहरूको मूल्याङ्कन र परिमाणका आधारमा जरिवाना गर्ने ।
- इलेक्ट्रोनिक्स र इलेक्ट्रिकल सामग्रीहरूमा मूल्याङ्कनको १० प्रतिशत जरिवाना गर्ने ।
- लत्ता कपडाको मूल्याङ्कनको ५ प्रतिशत जरिवाना गर्ने ।

#### ग) सवारी साधन

- मोटरसाईकल/स्कुटरको रु.२५०।
- ३ पाङ्ग्रे सवारी साधनको रु.३००।
- ४ पाङ्ग्रे सवारी साधनको रु.५००।

घ) खाद्य सामग्री, माछा र मासुको सन्दर्भमा सम्बन्धित निकायसंग समन्वय गरि न्युनतम रु.५०० जरिवाना गर्ने र अधिकतम सामानको परिमाण अनुसार उचित जरिवाना गर्ने ।

नोट: माथि उल्लेखित जरिवानामा दोस्रो पटकलाई दोब्बर र तेस्रो पटकमा सामग्री जफत गर्ने । (सवारी साधनको हकमा हदैसम्मको जरिवाना हुने । साथै माथि उल्लेखित गरिएका बाहेक अन्य वस्तुको हकमा कार्यालयले तोके अनुसारको जरिवाना हुने ।

### ४. सरसफाई सेवा शुल्क (मासिक दर रेट)

| सि. न. | वर्गीकरण                                            | नयाँ दररेट |
|--------|-----------------------------------------------------|------------|
| १      | ठेला (फलफूल /तरकारी)                                | रु.५०।००   |
| २      | घरधुरी (प्रति भान्सा /परिवार)/ पान पसल/स्टेशनरी पसल | रु.१५०।००  |

|      |                                                                                                                                                          |                         |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| ३    | ठेला (चाट /म:म)/ खुद्रा पसल (ईलेक्ट्रोनिक र इलेक्ट्रीकल पसल/कपडा/फेन्सी/ब्युटी पार्लर / कस्मेटीक/किराना पसल/ प्लाष्टिक सप्लायर्स)                        | रु.२५०।००               |
| ४    | हेयर कटिङ्ग/ खाजा घर (रेष्टुरेन्ट)/ तरकारी तथा फलफूल पसल (खुद्रा)/फार्मेशी                                                                               | रु.३००।००               |
| ५    | सबै प्रकारका थोक पसल/ गेष्ट हाउस/ हार्डवेयर पसल /माछा, मासु पसल (खुद्रा) बैंक/ फर्निचर पसल /वित्तीय संस्था /वर्कशप/ होस्टेल/ सपिङ्ग मार्केट /गाडी सो रुम | रु.५००।००               |
| ६    | माछा, मासु पसल (थोक)                                                                                                                                     | रु.१,०००।००             |
| ७    | तरकारी तथा फलफूल मण्डी तथा मन्डी भित्रका पसलहरुको आधारमा प्रति पसल                                                                                       | रु.१००।००               |
| ८    | पार्टि प्यालेस /सिनेमा हल                                                                                                                                | रु.३,०००।००             |
| ९    | ठूला होटल                                                                                                                                                |                         |
| ९.१  | होटल (Tourist Class)                                                                                                                                     | रु.१,५००।००             |
| ९.२  | होटल(3 star)                                                                                                                                             | रु.५,०००।००             |
| ९.३  | होटल (4 star)                                                                                                                                            | रु.१०,०००।००            |
| ९.४  | होटल(5 star)                                                                                                                                             | रु.१२,०००।००            |
| १०   | सरकारी कार्यालय                                                                                                                                          | रु.५००।००               |
| ११   | विद्यालय (प्राइभेट)                                                                                                                                      |                         |
| ११.१ | प्राथमिक /Montessori                                                                                                                                     | रु.५००।००               |
| ११.२ | आधारभुत माध्यमिक                                                                                                                                         | रु.८००।००               |
| ११.३ | माध्यमिक                                                                                                                                                 | रु.१,०००।००             |
| ११.४ | उच्च माध्यमिक                                                                                                                                            | रु.१,२००।००             |
| १२   | सपिङ कम्प्लेक्स (राही मार्ट, भाटभटेनी)                                                                                                                   | रु.३,०००<br>रु.७,५००।०० |
| १३   | स्वास्थ्यजन्य फोहोर                                                                                                                                      |                         |
| १३.१ | सक्रमित फोहोर                                                                                                                                            | रु.३१ प्रति के.जी.      |
| १३.२ | निर्मलिकरण गरिएको फोहोर                                                                                                                                  | रु.२१ प्रति के.जी.      |
| १३.३ | साधारण फोहोर                                                                                                                                             | रु.७ प्रति के.जी.       |

नोट: यहाँ उल्लेख नभएको विषयमा समान स्तरको फोहोर उत्पादन दर कायम गर्ने।

- माथि उल्लेखित ग्राहकले सड्ने र नसड्ने फोहोर छुट्टाएमा मासिक शुल्कको २० प्रतिशत छुट दिइनेछ।
- कुनै व्यक्तिले विवाह बर्तबन्ध जस्तो समारोहको लागि सेवा माग भएमा प्रति ट्राली रु १००० दरले सेवा शुल्क लाग्नेछ।
- विपन्न घरधुरीको हकमा रु ५० प्रति परिवार घरधुरी सेवा शुल्क लाग्नेछ।

४. उद्योग तथा कलकारखानाको हकमा यी उद्योग तथा कलकारखानाबाट निस्केका हानिकारक फोहोरमैला बाहेक अन्य उत्पादित फोहोरको मात्रा हेरी सेवा दिने संस्था निकाय र उद्योग तथा कलकारखाना बीचको आपसी समझदारी अनुसार निर्णय हुनेछ।
५. कुनै व्यक्ति, व्यवसायी, संघ, संस्थाहरूले एकमुष्ट फोहोर एकिकृत गरि संकलन गरेको फोहोरको प्रति ट्रालि रु.५०० का दरले सेवा शुल्क लाग्नेछ।

**५. आधुनिक सक्सन टैंकरको सेवा शुल्क:**

सेवा शुल्क (प्रति ट्रिप) १०,००० लिटर क्षमताको रु.५,०००।००

४,००० लिटर क्षमताको रु.२,५००।००

**६. अन्य शुल्क एवं दस्तुर**

भरुवा बन्दुक नविकरण नियमानुसार

- धितो रोक्का वापत रु.५००।—
- अतिरिक्त सेवा शुल्क- नगरभित्र फोहोर मैला उत्पादन हुने खालका माल सामान जस्तै तरकारी, फलफुल आदी लिई नगर प्रवेश गर्ने ट्रक, मिनीट्रक, टेक्टरमा सेवा शुल्क वापत रु.१५०। लाग्ने छ।
- नगरपालिका क्षेत्रभित्र विभिन्न चाडपर्वहरूमा पसल राख्ने व्यवसायीलाई प्रतिदिन रु.५० देखि रु.५०० सम्म शुल्क लाग्नेछ।
- नगरपालिका क्षेत्रभित्र विभिन्न उत्पादन सामग्रीहरूको प्रचार प्रसार गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा सडक यातायात अवरोध नहुने गरी ईजाजत दिएवापत स्तर हेरी प्रतिदिन रु.५००।— देखि रु.५,०००।— सम्म लाग्नेछ।

**७. जग्गा प्लटिङ/रेखाङ्कन सम्बन्धी सेवा शुल्क**

क) जग्गा प्लटिङ गर्दा नगरपालिकाले निर्धारण गरेको भवन तथा योजना मापदण्ड, २०५६ अनुसार हुन पर्ने रजिष्टर्ड प्राविधिकबाट नक्सांकन गरी स्वीकृत लिएकाबाट

- |                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| • न्यूनतम ३ कठ्ठा सम्म      | रु.२,०००।   |
| • ३ कठ्ठा देखि ५ कठ्ठा सम्म | रु.५,०००।   |
| • ५ कठ्ठा देखि १ बिगाह सम्म | रु. १०,०००। |
| • २० कठ्ठा भन्दा माथि       | रु.५०,०००।  |

ख) नेपालगन्ज क्षेत्रभित्र रहेका सम्पूर्ण जग्गाहरूलाई नापी कार्यालय बाँकेले प्रमाणित गरेर उपलब्ध गराएको ६ महिनाभित्र सम्मको नापी नक्सा अनुसार जग्गा रेखाङ्कन गरेवापत रु.१२००।००

## ८. घर नक्सा पास दस्तुर

- ट्रेस स्ट्रक्चर/माटोको जोडाईमा प्रतिवर्ग फिट रु ५।००
- लोड वियरिंगमा प्रतिवर्ग फिट रु ९।००

## आर.सि.सि. स्ट्रक्चर

- (१) आवासिय भवनमा प्रतिवर्ग फिट रु. १२।००
  - (२) संघसंस्था तथा व्यापारिक, तारेहोटल, कम्प्लेक्स, हस्पिटल चलचित्र भवनमा प्रतिवर्ग फिट रु १४
  - (३) तर सुर्खेत रोड, चारवाहिनि देखि सदरलाईन, न्यूरोड तथा बसपार्क रोडको विद्युत कार्यालय सम्म नक्सापास गर्दा माथिको दस्तुरमा प्रतिवर्ग फुट रु.३।- का दरले थप दस्तुर लिने ।
- पुरानो मापदण्डमा बनेका घरहरुको नियमानसार तल्ला थपको स्वीकृती लिई सम्पन्न अभिलेखिकरण लिई सकेको तर सो भन्दा माथि पनि पुनः तल्ला थप गरेको सम्बन्धमा पनि भवन नक्शा अभिलेखिकरण दस्तुर लिई नक्शा अभिलेखिकरण गरि दिने ।
  - नेपालगञ्ज उप-महानगरपालिका क्षेत्र भित्र निर्माण भै सकेका तर अभिलेखिकरण तथा नक्सापास हुन बाँकी रहेका भवनहरु अभिलेखिकरणको लागी कार्यालयमा निवेदन पेश हुन आएमा २०८२ मंसिर मसान्त सम्म मात्र नक्सापास राजस्वमा ३ गुणा थप जरिवाना लिइ भवन नक्शा अभिलेखिकरण गर्ने
  - नेपालगञ्ज उप महानगरपालिका क्षेत्र भित्र कुनै बखतमा नक्शा सम्पन्न अभिलेखिकरण प्रमाणपत्र लिई सकेको तर सडक विस्तार गर्ने क्रममा तोडफोड गर्दा फेर बदल हुन गएका घरहरुको हकमा १००० व.फि.सम्म रु.१०००। (सो भन्दा माथि भए रु.३०००। संशोधन शुल्क मात्र लिई नक्शा संशोधन गरिदिने ।
  - नक्सादर्ता गर्दा खुलाईएको प्रयोजनमा पछि फेर बदल गर्नु परेमा माथि उल्लेखित वमोजिम थप दस्तुर तिरी पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने छ । स्वीकृति नलिई फेरबदल गरेमा निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र उपलब्ध गराईने छैन ।

## नक्शा संशोधन दस्तुर

१. १००० वर्ग फिटसम्म रु ३०००।
२. १००० वर्ग फिट भन्दा माथि भए रु ५०००।
३. नक्शाफाराम दस्तुर रु १०००।
४. सडक सुधार शुल्क नयांलाई रु १०००।
५. बनिसकेको घरमा सडक सुधार शुल्क रु.३,०००।
६. कम्पाउण्डवाल दस्तुर प्रति रनिंग फिटमा रु ५। वा रु. १०००। जुन बढी हुन्छ सो लिने ।
७. म्यादथप दस्तुर लागेको दस्तुरको ५ प्रतिशत थप २ वर्षका लागी
८. नामसारी दस्तुर लाग्ने दस्तुरको ३३ प्रतिशत अर्थात एक तिहाई

- यस उपमहानगरपालीकामा आउनु पूर्व साविक गाविसमा नक्सा अभिलेखीकरण भईसकेको छ भने हालको प्रकृया पुर्याई लाग्ने दस्तुरको ५० प्रतिशत छुट गरी नक्सा अभिलेखीकरण गरिदिने ।
- यस नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाबाट साविकमा प्लिन्थ लेभल इजाजत लिइ डि.पि.सि. गरी सो भन्दामाथि निर्माणधिन अवस्थामा रही निर्माण सम्पन्न नभएको तर स्वीकृतीपत्रको चार वर्ष म्यादपनि गै सकेको अवस्थामा म्याद समाप्त भै सकेको कारणले लाग्ने दस्तुर र बाटो मर्मत दस्तुर तीन हजार लिई (साविकमा तिरेको दस्तुर नघटाई) पाई सकेको मापदण्ड अनुसार निर्माण गर्न सुपरस्टक्चर इजाजत प्रदान गर्ने र निर्माण भै सकेकालाई अभिलेखीकरण गर्ने तथा स्वीकृती नलिई डि.पि.सि. गरी सकेकोलाई लागु नहुने ।
- यस नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाबाट साविकमा सुपर स्टक्चर सम्मको इजाजत लिईसकेको तर चार वर्ष म्यादभित्र घर निर्माण सम्पन्न प्रमाण पत्र नलिएको हकमा हाल नयां लाग्ने दस्तुरको ५० प्रतिशत तथा बाटो मर्मत एक हजार लिई पेश भएको नक्शालाई निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र दिने ।

#### ९.सिफारिश दस्तुर:

| क्र.स. | शिर्षक                                                                  | दस्तुर        |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|
| १      | घरबाटो नभएको                                                            | ३००।००        |
| २      | बाटो भएको घर नभएको                                                      | ५००।००        |
| ३      | घर भएको कच्ची बाटो ग्रेभलिङ्ग भएको                                      | ७५०।००        |
| ४      | पिच बाटो भएको घर नभएकोलाई                                               | १०००।००       |
| ५      | पिच बाटो भएको घर भएकोलाई                                                | २०००।००       |
| ६      | बर्ग मिटरमा नयां लालपुर्जा लिने प्रयोजनको लागी घर नभएकोलाई              | ५००।००        |
| ७      | बर्ग मिटरमा नयां लालपुर्जा लिने प्रयोजनका लागी घर भएका लाई              | १०००।००       |
| ८      | घरवास मिन्हाको भोग चलनको सिफारिस                                        | १०००।००       |
| ९      | घरवास मिन्हाको विक्री वितरण प्रयोजनको लागि सिफारीस                      | १५००।००       |
| १०     | थ्रि-फेज लाइन विद्युत घरायसी प्रयोजन                                    | ५०००।००       |
| ११     | औद्योगिक सिफारिसमा (घरेलुमा जाने सिफारिस समेत)                          | ४०००।००       |
| १२     | औद्योगिक प्रयोजनको १५ हर्ष पावर सम्मको सिफारीसमा                        | ८०००।००       |
| १३     | औद्योगिक प्रयोजनको १५ हर्षपावर भन्दा माथी जतिसुकै भएकोमा सिफारीस दस्तुर | १००००।००      |
| १४     | विदेश भ्रमण तथा अध्ययन प्रयोजनका लागि गर्ने सम्पती प्रमाणित             | सय कडा ५ पैसा |
| १५     | अंग्रेजीमा अन्य सिफारीस                                                 | ३००।००        |
| १६     | नाता प्रमाणित दस्तुर                                                    | १००।००        |
| १७     | पेन्सन पट्टा सिफारीस                                                    | १००।००        |
| १८     | नागरिकता सिफारीमा                                                       | निशुल्क       |

|    |                                                                                                |          |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| १९ | विद्युत टेलिफोनमा सिफारीस घरायसी प्रयोजन                                                       | ५००।००   |
| २० | अमिनद्वारा चारकिल्ला जग्गा छुट्याउने कार्य प्रमाणीत गरे बापत प्रति कित्ता                      | १५००।००  |
| २१ | उ.म.न.पा क्षेत्र बाट अन्य स्थानमा लैजाने खसि,बोका,भेडा,घोडा खच्चड,गधाप्रति जिउ सिफारीस दस्तुर  | १००।००   |
| २२ | मोबाईल टेलिफोन टावर                                                                            | १००००।०० |
| २३ | डिजिटल विज्ञापन सिफारिस प्रतिगोटा                                                              | ५०००।००  |
| २४ | क्यासिनो सिफारिस                                                                               | २५०००।०० |
| २५ | खानेपानी उद्योग सिफारीसमा गर्दा दस्तुर                                                         | १००००।०० |
| २६ | पिच पि.सी.सी.लि.एवं,डब्लु.वि.एम सडकको लागि                                                     | २०००।००  |
| २७ | ग्रेभलिङ्ग र इटा सोलिडका लागि                                                                  | १०००।००  |
| २८ | माटोको सडकको लागि                                                                              | ५००।००   |
| २९ | अन्य सिफारिस                                                                                   | १००।००   |
| ३० | मिलापत्र दस्तुर                                                                                | १००।००   |
| ३१ | घरनक्सा पास सम्बन्धि सिफारिस                                                                   | १००।००   |
| ३२ | पूर्व प्राथमिक र मन्टेश्वरीलाई सिफारिस                                                         | ५०००।००  |
| ३३ | आधारभूत विद्यालयको सिफारिश (कक्षा १ देखि ८ सम्म)                                               | १५०००।०० |
| ३४ | माध्यमिक विद्यालयको सिफारिश (कक्षा ९ देखि १२ सम्म)                                             | २५०००।०० |
| ३५ | संस्था दर्ता सिफारिश दस्तुर                                                                    | ५००।००   |
| ३६ | संस्था नविकरण तथा सिफारिश दस्तुर                                                               | ५००।००   |
| ३७ | धार्मिक संघसंस्था दर्ता तथा सिफारिश दस्तुर                                                     | ५००।००   |
| ३८ | खानेपानी पाईप जडान गर्दा सिफारिश दस्तुर                                                        | २०००।००  |
| ३९ | सामुदायिक एफ.एम.सूचिकृत वा सिफारिश                                                             | ५००।००   |
| ४० | पेट्रोल पम्प सिफारिश                                                                           | ५०००।००  |
| ४१ | सिसि क्यामेरा जडानका लागि सिफारिश                                                              | १०००।००  |
| ४२ | पूर्जामा घरकायम गर्ने सिफारिस                                                                  | ५००।००   |
| ४३ | बणिज्यमा सिफारिस मुचुल्का सहितको ठूलो कारोबार                                                  | ४०००।००  |
| ४४ | बणिज्यमा सिफारिस मुचुल्का नहुनेको साधारण कारोबार                                               | ५००।००   |
| ४५ | लालपुर्जा हराएको प्रतिलिपी लिनको प्रयोजनको लागी सिफारिस                                        | २००।००   |
| ४६ | व्यसाय/कारोबार बन्दको सिफारिस                                                                  | १००।००   |
| ४७ | कृषि तथा गैर कृषि क्षेत्र निर्धारण गर्नको लागी घरायसी अंशवण्डा प्रयोजनको लागी प्रति पटक दस्तुर | ५००।००   |
| ४८ | कृषि तथा गैर कृषि क्षेत्र निर्धारण गर्नको लागी अन्य प्रयोजनको लागी प्रति पटक दस्तुर            | १५००।००  |

## १०.दाखिल खारेज नामसारी (बहाल बितौरी जग्गाको हकमा मात्र)

- क) रजिष्ट्रेशन र बकस पत्र भएको दा.खा.मा मुल्यांकनको १ प्रतिशत  
 ख) अंश वण्डा भै दा.ख.मा रु.५००।—  
 ग) मृत्युबाट अपुताली कायम हुँदा मुल्यांकनको १०प्रतिशत र सिफारीसमा समेत १० प्रतिशत लाग्ने छ ।  
 घ) मृत्युबाट हक कायम भै नामसारीमा रु.१५०।—

## ११.अन्य:

- सेवा शुल्क - उपमहानगरपालिकाले उपलब्ध गराएको सेवा बापत सेवा शुल्कको रुपमा सम्पत्तीकरको दश प्रतिशत र सार्वजनिक सेवा सुविधा उपलब्ध गराए बापत ५ प्रतिशत समेत गरी सम्पत्ती करमा १५ प्रतिशत थप गरी सेवा शुल्क लिईने छ ।
- संस्थागत मन्टेश्वरी, विद्यालय तथा गुठी को अनुमति, कक्षा थप तथा विषय थप शुल्क

| क्र.स. | विद्यालय/मन्टेश्वरी/गुठी               | नयाँ विद्यालय अनुमति शुल्क | कक्षा थप शुल्क | विषय थप शुल्क |
|--------|----------------------------------------|----------------------------|----------------|---------------|
| १      | पूर्व प्राथमिक विद्यालय तथा मन्टेश्वरी | रु. २५,०००।००              | रु. २०,०००।००  | -             |
| २      | आधारभुत कक्षा १ देखि ८ सम्म            | -                          | रु. ३०,०००।००  | -             |
| ३      | माध्यमिक कक्षा ९ देखि १२ सम्म          | -                          | रु. ४०,०००।००  | रु.२५,०००     |
| ४      | गुठी                                   | रु. ५०,०००।००              | -              | -             |

- सडक व्यवस्थापन सम्बन्धि शुल्क तथा जरिवाना  
 सडकमा अव्यवस्थित तरिकाले विभिन्न सामाग्रीहरुले सडक आवागमनमा अवरोध पुर्याई रहेको अवस्थामा सो व्यवस्थित गर्नको लागि देहाय बमोजिम गर्ने  
 १. सडक आवागमनमा अवरोध नहुने गरी बढिमा तीन दिनसम्म सामाग्री राख्नुपर्ने भएमा सम्बन्धित वडा कार्यालयको अनिवार्य स्वीकृती लिनुपर्ने,  
 २. तीन दिनभन्दा बढि सात दिनसम्म सामाग्री राखेको पाईएमा दैनिक रु.दुई सय पचासका दरले जरिवाना लगाउने,  
 ३. सात दिन भन्दा बढि सामाग्री राखेको पाईएमा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले जफत गर्ने ।
- वडाबाट कपाली तमसुक प्रमाणित गर्ने शुल्क  
 १. रु. ५० हजार देखि ५ लाखसम्म रु. १००।  
 २. रु. ५ लाख १ देखि १० लाख सम्म रु.२००।  
 ३. रु. १० लाख भन्दा माथी रु. ५००।

## १२. इट्टामा उत्पादनमा लगाइने कर

१. इट्टा उत्पादन तर्फ इट्टा उत्पादन हुँदा चिम्नीबाट वायूमण्डलालाई प्रदुषित बनाउने कार्वनडाइअक्साइड लगायतका ग्यासहरु उत्सर्जन हुने हुनाले सोमा वातावरणीय कर, उत्पादन कर तथा ढुवानी कर समेत गरि एकमुष्ट अक्षरूपी पचास हजार कर लगाउने।

### अनुसूची १३

#### पर्यटन शुल्क

- तोकिए बमोजिम हुने ।

### अनुसूची १४

१. सम्पत्ती कर संकलनमा देहाय बमोजिम निकायहरुको सम्पत्ती कर लगाईने छैन।
- नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको स्वामित्वमा रहेको घर र जग्गा,
  - सरकारी अस्पतालको घर र घरजग्गा,
  - गुठीको स्वामित्वमा भएको घर र घरजग्गा,
  - मुनाफाको उद्देश्य नराखी सञ्चालन गरिएको सरकारी शिक्षण संस्था, कम्पनी, समिति, प्राधिकरण, बोर्ड र सरकारी संस्थानको घर र घरजग्गा,
  - मुनाफाको उद्देश्य नराखी सञ्चालन भएका संघ, संस्थाको घर र घरजग्गा,
  - धार्मिक संस्था (मन्दिर, गुम्बा, मस्जिद, चर्च आदि) को घर र घरजग्गा,
  - खानेपानी संकलन पोखरी, विद्युतगृह, मसानघाट, कब्रिस्तान, कर्वला, मजार, विमानस्थल, बसपार्क, उद्यान, पार्क जस्ता सार्वजनिक उपयोगका स्थलहरु,
  - राजदूतावास, बाणिज्य नियोग, कुटनैतिक नियोगका घर र घरजग्गा ।
५. उप-महानगरपालिकाले निर्धारण गरेको स्थान भन्दा अन्यत्र सडक पेटी वा सार्वजनिक स्थानमा कुनै पसल खुद्रा पसल, मासु पसल सब्जी मण्डी, फलफुल पसल राखि ब्यापार ब्यवसाय गरेमा त्यस्तो सामान जफत गरी लिलाम बिक्री गर्ने र उठेको रकम उप-महानगरपालिकाको राजश्व खातामा दाखिला गर्ने।
६. तोकिएको स्थान भन्दा अन्यत्र सवारी साधन पार्किङ्ग गरी राखेमा त्यस्तो सवारी साधन उठाई तोकिए बमोजिम जरिवाना गर्ने।

७. अनुसूचि-४ मा समावेशनभएका सेवा, व्यवसायको कारोबार र स्तर हेरी वार्षिक १,०००/- देखि १,२५,०००/- सम्म व्यवशाय कर लिईनेछ।
८. राजस्व सम्बन्धी नगर सभा बाट दररेट निर्धारण नभएका वा कार्यालयलाई राजस्व संचालनमा द्विविधा पर्न गएमा राजस्व परामर्श समितिको बैठकबाट तत्काल सिफारिस गराई नगरकार्यपालिका बोर्ड बैठकबाट निर्णय गर्ने।
९. यस उपमहानगरपालिकामा हाल सम्म कर नतिर्ने कर बक्यौता भएका व्यक्तिहरुको नाम राष्ट्रिय स्तरका पत्रपत्रिका र अन्य सञ्चार माध्यम बाट सार्वजनिक गरी कर असुलीलाई तिब्रता दिने। साथै यस्ता व्यक्तिबाट कर बक्यौता असुली गर्ने, मालपोत कार्यालय मार्फत व्यक्तिको चल अचल सम्पति रोक्का राख्न पत्राचार गर्ने र यस कार्यालयबाट प्रदान हुने सेवा सुविधा समेत रोक्का राख्ने र अन्य कार्यालय मार्फत त्यस्ता कार्यालयबाट प्रदान हुने सेवा सुविधा रोक्का राख्ने सम्मको कारवाहि प्रक्रिया अगाडी बढाउने।



प्रमाणिकरण